



कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण-पत्र- 2018-19 :

सेवा में,
बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण
मुंबई

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत कार्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

1. यह प्रमाणपत्र बैंक ऑफ़ बड़ौदा ('बैंक') के साथ हमारे करार की शर्तों के अनुरूप जारी किया गया है.
2. इस रिपोर्ट में 31 मार्च, 2019 को बैंक द्वारा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड (सूचीयन दायित्व करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीयन विनियम') जैसे कि विनियम 17-27, विनियम 46(2) के उपबंध (बी) से (आई) तक और अनुसूची V के अनुच्छेद सी, डी और ई के अनुसार कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के ब्योरे प्रस्तुत हैं.

प्रबंधन का दायित्व

3. कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन करने का दायित्व प्रबंध तंत्र का होगा. कार्पोरेट गवर्नेंस में निर्धारित सूचीयन विनियम की शर्तों का अनुपालन करने के लिए, आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की स्पष्टता, कार्यान्वयन और रखरखाव करना इनकी जिम्मेदारी होगी.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

4. हमारी जिम्मेदारी, कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई प्रक्रियाओं और इनके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित होगी. यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है न ही उनपर हमारी राय.
5. हमने बैंक द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में आश्वस्त होने के लिए बैंक के बही-खातों और तत्संबंधी अन्य अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है.
6. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी विशेष प्रयोजन के लिए रिपोर्ट या प्रमाणपत्र पर मार्गदर्शी नोट और कार्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाण मार्गदर्शी नोट ('मार्गदर्शी नोट') दोनों के अनुसार जांच की है. मार्गदर्शी नोट में हमसे अपेक्षित है कि हम संस्थान द्वारा नैतिक मूल्य संहिता संबंधी नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें.
7. हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, गुणवत्ता नियंत्रण की लेखा परीक्षा और ऐतिहासिक वित्तीय सूचना की समीक्षा करने वाली संस्थाओं और अन्य आश्वासन और संबंधित करार सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं पर लागू अपेक्षाओं का पालन किया है.

राय

8. हमारी राय में और हमारी पूर्ण सूचना और बैंक द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण और अभ्यावेदनों के अनुरूप हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सूचीयन विनियम में निर्धारित कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का पालन किया है.

Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance – 2018-19 :

To,
The Members of Bank of Baroda
Mumbai

INDEPENDENT AUDITORS' CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH THE CORPORATE GOVERNANCE REQUIREMENTS UNDER SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

1. This certificate is issued in accordance with our terms of engagement with the Bank of Baroda ("the Bank").
2. This report contains details of compliance of conditions of Corporate Governance by the Bank for the year ended March 31, 2019, as stipulated in Regulations 17-27, clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and paragraphs C, D and E of Schedule V of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").

Management Responsibility

3. The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. This responsibility includes the design, implementation and maintenance on internal control and procedures to ensure the compliance with conditions of Corporate Governance stipulated in Listing Regulations.

Auditors Responsibility

4. Our responsibility is limited to examining procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring compliance with the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.
5. We have examined the books of account and other relevant records and documents maintained by the Bank for the purpose of providing reasonable assurance on the compliance with Corporate Governance requirements by the Bank.
6. We conducted our examination in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes and Guidance Note on Certification of Corporate Governance, ("Guidance Notes") both, issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Guidance Notes require that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the Institute.
7. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

Opinion

8. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and the representations provided by the Bank, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the Listing Regulations.



9. हम स्पष्ट करते हैं कि इस अनुपालन से बैंक की भविष्य में व्यवहार्यता पर और न ही प्रबंध तंत्र द्वारा बैंक के कार्य निर्वाह की दक्षता या प्रभाविकता पर कोई आश्वासन है।

उपयोग पर प्रतिबंध

10. यह प्रमाणपत्र बैंक के सदस्यों को संबोधित और जारी किया गया है जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि बैंक सूचीयन विनियम का पालन कर सके और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए. तदनुसार, किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना पूर्व लिखित सहमति के इस प्रमाणपत्र को दिखा कर/किसी के हाथ लगने पर इससे उत्पन्न किसी प्रकार की देयता या असावधानी के लिए हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते.

9. We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Restriction on Use

10. The certificate is addressed and provided to the members of the Bank solely for the purpose to enable the Bank to comply with the Listing Regulations, and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or duty of care for any other purpose or to any other person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

कृते कल्याणीवाला व मिस्त्री एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 104607डब्ल्यू/डब्ल्यू100166
For Kalyaniwalla & Mistry LLP.
Chartered Accountants
FRN:104607W / W100166

कृते सिंघी व कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 302049ई
For Singhi & Co.
Chartered Accountants
FRN : 302049E

कृते जी एम कपाडिया व कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 104767डब्ल्यू
For G M Kapadia & Co.
Chartered Accountants
FRN : 104767W

कृते एस आर डिनोडिया व कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001478एन/एन500005
For S R Dinodia & Co. LLP.
Chartered Accountants
FRN : 001478N / N500005

(अनिल ए कुलकर्णी)
साझेदार
एम नं. 047576
यूडीआईएन: 19047576AAAACG4361
(Anil A. Kulkarni)
Partner
M No. 047576
UDIN:19047576AAAACG4361

(एस चंद्रशेखर)
साझेदार
एम नं. 007592
यूडीआईएन:19007592AAAAAD2384
(S Chandrasekhar)
Partner
M No. 007592
UDIN:19007592AAAAAD2384

(गुरुराज जी)
साझेदार
एम नं. 219948
यूडीआईएन:19219948AAAABD3511
(Gururaj G)
Partner
M No. 219948
UDIN:19219948AAAABD3511

(नूतन जैन)
साझेदार
एम नं. 092332
यूडीआईएन:19092332AAAACF8849
(Nutan Jain)
Partner
M No. 092332
UDIN:19092332AAAACF8849

स्थान : मुंबई
दिनांक: 22 मई 2019
Place: Mumbai
Date: 22nd May 2019



कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2018-19 Report on Corporate Governance 2018-19

गवर्नेंस संहिता पर बैंक की मान्यता

- बैंक ऑफ़ बड़ौदा कार्पोरेट गवर्नेंस पर उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने के प्रति प्रतिबद्ध है और ऐसी हर पद्धति पर खरा उतरने के लिए निरंतर प्रयासरत है. उत्कृष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस का अनुपालन बैंक के परिचालनों का एक अभिन्न अंग है.
- विश्व भर में कार्पोरेट गवर्नेंस संगठनात्मक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है. सुदृढ़ कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियां, स्पर्धात्मक बढ़त बनाने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई हैं.
- बैंक की कार्पोरेट गवर्नेंस मान्यता पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेहिता जैसे मूल्यों में प्रतिबिम्बित होती है.
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा यह मानता है कि कार्पोरेट गवर्नेंस को मात्र एक नियामक आवश्यकता की दृष्टि से न देखा जाए क्योंकि कारोबार के संगठन, कार्पोरेट दायित्व और शेयरधारकों की आय को अधिकाधिक बढ़ाना, यह सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं.

बैंक ने अपनी सभी गतिविधियों में कार्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत को सर्वव्यापी स्तर से अपनाया है. बैंक इन आयामों में निरंतर उत्कृष्टता लाने में सदैव प्रयासरत रहता है और अपने सभी हितधारकों, शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और समाज के अन्य सदस्यों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य में अविरत वृद्धि करता रहता है. बैंक का कार्पोरेट गवर्नेंस निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा शासित होता है:

- शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें अधिकतम स्तर पर पहुंचाना.
- सभी हितधारकों के साथ संव्यवहार में निष्पक्ष, नैतिक एवं पारदर्शिता.
- ग्राहकों, कर्मचारियों एवं बृहद् समाज सहित के सभी हितधारकों के हितों का संरक्षण.
- कार्यनिष्पादन एवं ग्राहक सेवा हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना.
- बैंक के कार्यनिष्पादन एवं परिचालनों से संबंधित सभी मामलों में समय पर एवं सटीक प्रकटीकरण.
- हमारे बुनियादी मूल्यों का पालन करते हुए व्यवसाय करना.
- उत्कृष्ट स्तर का कार्पोरेट नेतृत्व तैयार करना.

बैंक के बुनियादी मूल्य इस प्रकार हैं:

1. सत्यनिष्ठा: हम अपने सभी हितधारकों के साथ वाणी, कार्य और संव्यवहार में नैतिक और पारदर्शी हैं.
2. ग्राहक केन्द्रीयता हमारी सभी गतिविधियों का केंद्र हमारे ग्राहकों का हित है.
3. साहस: हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं और अपने मूल्यों पर विश्वास करते हैं.
4. उत्साहपूर्ण स्वामित्व: हम अपने बैंक के प्रति ऊर्जा, उत्साह एवं अपनत्व का भाव रखते हैं और तथा एक साथ मिल कर बैंक के लिए कार्य करते हैं.
5. नवोन्मेषिता: हम नवीन विचारों से मूल्य संवर्धन करते हैं.
6. उत्कृष्टता: हम अपनी नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में लगातार सुधार करने का प्रयत्न करते हैं.

BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

- Bank of Baroda is committed to adopting best recognized corporate governance practices and continuously benchmarking itself against each such practice. The adherence to best corporate governance practices is an integral part of Bank's operations.
- Corporate Governance is emerged as an essential tool in the organizational management globally. Strong corporate governance practices have become crucial in achieving competitive advantage and positively impacting profitability.
- Bank's corporate governance philosophy is reflected by the values of transparency, professionalism and accountability.
- Bank of Baroda believes that there is a need to view Corporate Governance as more than just regulatory requirements as there is a generic connection among the organization of business, corporate responsibility and shareholder's wealth maximization

The Bank has infused the philosophy of corporate governance into all its activities. The Bank constantly strives towards betterment of these aspects and thereby perpetuates it into generating long term economic value for all its stakeholders including shareholders, customers, employees and other society members. Bank's corporate governance is governed by the following principles:

- Enhance and maximize the shareholders value
- Fair, ethical and transparent in dealings with all the stake holders
- Protection of the interest of all stake holders including customers, employees and society at large
- Ensuring accountability for performance and customer service and to achieve excellence at all levels
- Timely and accurate disclosures on all matters pertaining to the performance and operations of the Bank
- Carrying the business adhering to our core values
- Creating corporate leadership of highest standard

The core cardinal values of the Bank are:

1. Integrity: We are ethical and transparent in our words, actions and dealings with all stakeholders.
2. Customer Centricity: Our customers' interests lie at the core of all our actions.
3. Courage: We are resilient in the face of adversity and having faith in our beliefs.
4. Passionate Ownership: We display energy, enthusiasm and commitment towards our Bank and we work together for the Bank.
5. Innovation: We create value with break-through ideas.
6. Excellence: We strive for continuous improvement in our policies, systems and processes.

बैंक यह मानता है कि मजबूत कार्पोरेट गवर्नेंस एक जिम्मेदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, निरंतरता एवं प्रभावोत्पादकता की संस्कृति है जो संगठन में सर्वत्र प्रचलित है। बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है, जो एक कम्पनी नहीं है, अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 अर्थात् बैंककारी कंपनी अर्जन अधिनियम के तहत निकाय कार्पोरेट है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, अतः बैंक सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा, सिवाय इसके कि ये विनियमन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधान और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ सुसंगत नहीं होते हैं।

बैंक में कार्पोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट निम्नानुसार है:

निदेशक मंडल

कार्यदायित्व एवं गठन

निदेशक मंडल का कार्यदायित्व अन्य दायित्वों के साथ निम्नानुसार है:

- नीतियां और नीतिगत फ्रेमवर्क को स्थापित करना,
- सार्थक एवं नीतिपरक निर्णय लेना,
- लक्ष्य प्राप्ति का अवलोकन,
- हितधारकों के हितों की रक्षा करना और उसमें वृद्धि करना,
- बैंक के जोखिम प्रोफाइल की निगरानी रखना

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी(उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार निदेशक मण्डल का स्वरूप अनुबंध-1 एवं 1ए में प्रस्तुत है।

प्रत्येक निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों अर्थात् कोर प्रबंधन टीम जिसमें सभी महाप्रबंधक तथा विभाग प्रमुख शामिल हैं, वे आचार संहिता के अंतर्गत शासित होते हैं, जिसे निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दी गई है तथा जिसे बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर रखा गया है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है।

निदेशक मंडल की बैठकें :

बैंक को एक वर्ष में कम से कम छह बैठकें आयोजित करनी होती हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशक मंडल की -17- बैठकें संपन्न हुईं। बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 17

बैठकों की तारीखें:	25.05.2018,	07.06.2018,	29.06.2018,
	13.07.2018,	27.07.2018,	08.08.2018 एवं
	09.08.2018,	10.09.2018,	29.09.2018,
	12.10.2018,	30.10.2018,	29.11.2018,
	10.12.2018,	02.01.2019,	10.01.2019,
	29.01.2019,	20.02.2019,	20.03.2019

Bank believes that sound corporate governance is a culture of accountability, fairness, transparency, consistency and effectiveness which is practiced across the organization. The Bank is a listed entity; not a company but body corporate under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Bank has complied with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 except where the provisions of these regulations are not in conformity with The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India.

A report on implementation on provisions of Corporate Governance in the Bank is as below:

BOARD OF DIRECTORS

Role and Composition

The role of the Board includes amongst others:

- To establish policies and policy framework,
- To make significant and strategic decisions,
- To oversee the pursuit of objectives,
- To protect and maximize the interest of the stakeholders
- To oversee the risk profile of the Bank

The composition of Board of Directors is governed by the provisions of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended. The composition of the Board as on 31st March, 2019 is as per **Annexure-1 and 1A.**

Each Director and Senior Management Personnel i.e. Core Management Team comprising all General Managers and Departmental Heads are governed by Code of Conduct approved by the Board which is posted on Bank's website i.e. www.bankofbaroda.com. All the Board Members and Senior Management Personnel have affirmed the compliance of the Code.

MEETINGS OF BOARD

Board is required to meet a minimum of six times a year. During the Financial Year 2018-19, seventeen meetings were held. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 17

Dates of Meetings:	25.05.2018,	07.06.2018,	29.06.2018,
	13.07.2018,	27.07.2018,	08.08.2018
	& 09.08.2018,	10.09.2018,	29.09.2018,
	12.10.2018,	30.10.2018,	29.11.2018,
	10.12.2018,	02.01.2019,	10.01.2019,
	29.01.2019,	20.02.2019,	20.03.2019



निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि / Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अढ़िया	Dr. Hasumukh Adhia	01.03.2019 to 31.03.2019	1	1
श्री रवि वेकटेशन*	Shri Ravi Venkatesan*	01.04.2018 to 13.08.2018	6	6
श्री पी एस जयकुमार	Shri P. S. Jayakumar	01.04.2018 to 31.03.2019	17	17
श्री मयंक के मेहता*	Shri Mayank K. Mehta*	01.04.2018 to 30.09.2018	8	8
श्री अशोक कुमार गर्ग*	Shri Ashok Kumar Garg*	01.04.2018 to 30.06.2018	3	3
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	Smt. Papia Sengupta	01.04.2018 to 31.03.2019	17	16
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	20.09.2018 to 31.03.2019	10	10
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	01.10.2018 to 31.03.2019	9	9
श्री देबाशीष पांडा	Shri Debasish Panda	05.04.2018 to 31.03.2019	17	6
श्री अजय कुमार	Shri Ajay Kumar	01.04.2018 to 31.03.2019	17	15
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल	Shri Gopal Krishan Agarwal	01.04.2018 to 31.03.2019	17	16
प्रो. बिजू वर्की	Prof. Biju Varkkey	01.04.2018 to 31.03.2019	17	16
सुश्री उषा ए. नारायणन*	Ms. Usha A. Narayanan*	01.04.2018 to 11.12.2018	12	11
श्री भरत कुमार डी डांगर	Shri Bharatkumar D Dangar	01.04.2018 to 31.03.2019	17	16
श्रीमती सौंदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	01.04.2018 to 31.03.2019	17	14
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Shri Srinivasan Sridhar	12.12.2018 to 31.03.2019	5	4
श्री लोक रंजन*	Shri Lok Ranjan*	01.04.2018 to 04.04.2018	0	0

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

इसके अतिरिक्त गैर-कार्यपालक निदेशकों की दो अलग बैठकें 2018-19 के दौरान निम्नानुसार हुईं:

बैठकों की तारीखें- 29.06.2018, 29.01.2019

निदेशकों / कार्यपालकों की समितियां/ उपसमितियां

बैंक के निदेशक मण्डल ने कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों और / अथवा कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है. महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं:

1. निदेशक मण्डल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. निदेशक मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)
3. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
4. निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबंधन समिति
5. हितधारक संबंधपरक समिति
6. नामांकन समिति
7. ग्राहक सेवा समिति
8. बड़ी राशि की धोखाधड़ी सम्बन्धी समिति
9. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति संबंधी समिति
10. निदेशक मण्डल की मानव संसाधन पर नीतिपरक सलाहकार समिति
11. निदेशकों की समिति
12. वसूली निगरानी समिति
13. शेयर/ बांड अंतरण समिति
14. पारिश्रमिक समिति
15. ग्रामीण-वित्तीय समावेशन एवं सीएसआर पर निदेशक मंडल की स्टियरिंग समिति
16. सूचीबद्ध न हो ऐसी अनुषंगियों के लिए गवर्नेंस समिति
17. इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति

*ceased to be member during the year.

In addition two separate meetings of non-executive directors were also held during 2018-19 as under:

Dates of Meeting: 29.06.2018, 29.01.2019

COMMITTEES / SUB-COMMITTEE OF DIRECTORS / EXECUTIVES

Board has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance. The important Committees are as under:

1. Management Committee of the Board (MCB)
2. Credit Approval Committee of the Board (CACB)
3. Audit Committee of the Board (ACB)
4. Risk Management Committee of the Board
5. Stakeholders Relationship Committee
6. Nomination Committee
7. Customer Service Committee
8. Committee on High Value Frauds
9. IT Strategy Committee
10. Strategic Advisory Committee of the Board on HR
11. Committee of Directors
12. Committee for Monitoring of Recovery
13. Shares/Bonds Transfer Committee
14. Remuneration Committee
15. Steering Committee of the Board on Rural – FI & CSR
16. Governance Committee for Unlisted Subsidiaries
17. Review Committee on Wilful Defaulters

1. निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

समिति व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण मामलों जैसे उच्च मूल्य के ऋण प्रस्ताव की मंजूरी, समझौता/बट्टे खाते वाले प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व संबंधी खर्चों की मंजूरी, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत नामित निदेशकों में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक (गण) तथा भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा 9(3) की उप धारा (ई) (एफ) (एच) तथा (आई) के तहत नियुक्त किए गए निदेशकों में से तीन निदेशक होते हैं।

बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 34

बैठकों की तारीखें:	06.04.2018	21.04.2018	03.05.2018
	08.05.2018	15.05.2018	22.05.2018
	05.06.2018	12.06.2018	19.06.2018
	26.06.2018	30.06.2018	17.07.2018
	24.07.2018	31.07.2018	09.08.2018
	14.08.2018	20.08.2018	28.08.2018
	04.09.2018	24.09.2018	29.09.2018
	09.10.2018	19.10.2018	23.10.2018
	13.11.2018	22.11.2018	06.12.2018
	26.12.2018	10.01.2019	22.01.2019
	12.02.2019	05.03.2019	12.03.2019
	28.03.2019		

1. Management Committee of the Board (MCB)

The Committee considers various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

It consists of Managing Director & CEO, Executive Director(s) and Directors nominated by Government of India under Section 9(3)(c) and three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held:	34
Dates of Meetings:	06.04.2018, 21.04.2018, 03.05.2018, 08.05.2018, 15.05.2018, 22.05.2018, 05.06.2018, 12.06.2018, 19.06.2018, 26.06.2018, 30.06.2018, 17.07.2018, 24.07.2018, 31.07.2018, 09.08.2018, 14.08.2018, 20.08.2018, 28.08.2018, 04.09.2018, 24.09.2018, 29.09.2018, 09.10.2018, 19.10.2018, 23.10.2018, 13.11.2018, 22.11.2018, 06.12.2018, 26.12.2018, 10.01.2019, 22.01.2019, 12.02.2019, 05.03.2019, 12.03.2019, 28.03.2019

निदेशक / सदस्य का नाम	Name of Director / Member	अवधि / Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री पी एस जयकुमार (अध्यक्ष)	Shri P.S. Jayakumar (Chairman)	01.04.2018 to 31.03.2019	34	30
श्री मयंक के मेहता*	Shri Mayank K. Mehta*	01.04.2018 to 30.09.2018	21	19
श्री अशोक कुमार गर्ग*	Shri Ashok Kumar Garg*	01.04.2018 to 30.06.2018	11	7
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	Smt. Papia Sengupta	01.04.2018 to 31.03.2019	34	28
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	20.09.2018 to 31.03.2019	15	14
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	01.10.2018 to 31.03.2019	13	13
श्री अजय कुमार	Shri Ajay Kumar	01.04.2018 to 31.03.2019	34	18
प्रो. बिजू वर्की*	Prof. Biju Varkkey*	01.04.2018 to 14.05.2018	4	2
प्रो. बिजू वर्की*	Prof. Biju Varkkey*	25.05.2018 to 24.11.2018	20	11
श्री भरत कुमार डी डांगर*	Shri Bharatkumar Dhirubhai Dangar*	01.04.2018 to 30.06.2018	11	10
श्रीमती सौंदरा कुमार*	Smt. Soundara Kumar*	01.04.2018 to 21.07.2018	12	3
श्रीमती सौंदरा कुमार*	Smt. Soundara Kumar*	27.07.2018 to 26.01.2019	17	11
श्रीमती सौंदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	20.03.2019 to 31.03.2019	1	0
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Shri Srinivasan Sridhar	20.03.2019 to 31.03.2019	1	1

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति ने -244- नयी मंजूरीयां, -83- वृद्धि के साथ समीक्षा, -223- समीक्षा, -129- आशोधन, -24- पुष्टियां एवं -218- रिपोर्टिंग का अनुमोदन किया।

2. निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)

ऐसे ऋण प्रस्ताव जो प्रबंध निदेशक व सीईओ को प्रायोजित शक्तियों से अधिक है तथा रु 400/- करोड़ तक के ऋण प्रस्तावों को सीएसीबी द्वारा मंजूरी किया जाता है। समिति में सभी पूर्णकालिक निदेशक, सीएफओ, सीआरओ एवं

* Ceased to be member during the year.

The Committee approved -244- Fresh sanctions, -83- Reviews with increase, -223- Reviews, -129- modifications, -24- confirmations and -218- reportings during the FY 2018-19.

2. Credit Approval Committee of the Board (CACB)

The credit proposals which exceed the powers delegated to Managing Director & CEO and are upto ₹400 crores are considered for approval by the CACB. The Committee comprises of all Whole Time Directors, CFO, CRO and respective heads



संबद्ध वर्टिकल के प्रमुखों का समावेश है. बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 25

बैठकों की तारीखें:	25.04.2018	07.05.2018	26.05.2018
	06.06.2018	15.06.2018	22.06.2018
	04.07.2018	21.07.2018	03.08.2018
	10.08.2018	24.08.2018	03.09.2018
	15.09.2018	27.09.2018	15.10.2018
	05.11.2018	11.12.2018	21.12.2018
	31.12.2018	07.01.2019	23.01.2019
	13.02.2019	01.03.2019	16.03.2019
	30.03.2019		

of verticals. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 25

Dates of Meetings:	25.04.2018, 07.05.2018, 26.05.2018,
	06.06.2018, 15.06.2018, 22.06.2018,
	04.07.2018, 21.07.2018, 03.08.2018,
	10.08.2018, 24.08.2018, 03.09.2018,
	15.09.2018, 27.09.2018, 15.10.2018,
	05.11.2018, 11.12.2018, 21.12.2018,
	31.12.2018, 07.01.2019, 23.01.2019,
	13.02.2019, 01.03.2019, 16.03.2018,
	30.03.2019

निदेशक / सदस्य का नाम	Name of the Director	अवधि / Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री पी एस जयकुमार (अध्यक्ष)	Shri P.S. Jayakumar (Chairman)	01.04.2018 to 31.03.2019	25	25
श्री मयंक के मेहता*	Shri Mayank K Mehta*	01.04.2018 to 30.09.2018	14	13
श्री अशोक कुमार गर्ग*	Shri Ashok Kumar Garg*	01.04.2018 to 30.06.2018	6	4
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	Smt. Papia Sengupta	01.04.2018 to 31.03.2019	25	20
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	20.09.2018 to 31.03.2019	12	12
श्री विक्रमादित्य सिंह खिची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	01.10.2018 to 31.03.2019	11	9
श्री रमेश गोपालरत्नम - सीएफओ	Shri Ramesh Gopalratnam – CFO	01.04.2018 to 31.03.2019	25	21
श्री भास्कर शर्मा- सीआरओ*	Shri Bhaskar Sharma – CRO*	01.04.2018 to 31.08.2018	11	7
श्री एन के सिंघल-सीआरओ*	Shri N.K. Singhal – CRO*	01.09.2018 to 31.10.2018	3	1
श्री के जी गोयल- सीआरओ	Shri K.G. Goyal – CRO	01.11.2018 to 31.03.2019	10	9

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

*ceased to be member during the year

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति ने -113- नयी मंजूरीयां, -90- वृद्धि के साथ समीक्षा, -321- समीक्षा, -175- आशोधन, -25- पुष्टियों और -67- रिपोर्टिंग का अनुमोदन किया.

The Committee approved -113- Fresh sanctions, -90- Reviews with increase, -321- Reviews, -175- modifications, -25- confirmations and -67- reportings during the FY 2018-19.

3. निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

3. Audit Committee of the Board (ACB)

एसीबी के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न शामिल हैं-

The functions of ACB, inter alia, include

- लेखा परीक्षा समिति समग्र बैंक के लेखा परीक्षा संबंधी कार्यों के परिचालनों को तथा लेखापरीक्षा आयोजना को दिशा देती है तथा उनकी देखरेख करती है, जिसमें आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजित करना, उनका परिचालन एवं गुणवत्ता, आंतरिक नियंत्रण संस्तुतियों और बैंक के आंतरिक/समवर्ती/सांविधिक/बाहरी लेखापरीक्षकों के सुझावों का अनुवर्तन शामिल है. यह बैंक द्वारा केवाईसी-एएमएल अनुपालन, हाउसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्र, नियामक एवं सांविधिक दिशानिर्देशों की अपवादात्मक रिपोर्टिंग एवं अनुपालन की समीक्षा भी करती है.
- यह, आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता तथा बैंक के वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आईएस लेखापरीक्षा एवं बैंक की लेखा नीतियों/प्रणाली नीतियों की समीक्षा करती है.
- लेखा परीक्षा समिति बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति का निर्धारण एवं समीक्षा करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही हैं एवं संबंधित दिशानिर्देशों के अनुपालन किया गया है. यह तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों से विचार-विमर्श करती है; समीक्षा करती है तथा बोर्ड को अनुमोदन के लिए संस्तुत करती है.
- लेखा परीक्षा समिति बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत बैंक के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों के अनुपालन के लिए फॉलो-अप करती है. यह लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर भी फॉलो-अप करती है.

- ACB provides directions and oversees the operations of audit function and audit plan of the Bank including the internal audit organization, its operation and quality, internal control recommendations and follow-up of the suggestions of Internal / concurrent/ Statutory/External Auditors of the Bank. It also reviews KYC-AML compliance by the Bank, major areas of housekeeping, exception reporting and compliance of regulatory and statutory guidelines.
- It reviews the adequacy of internal control systems and reviews the financial, risk management, IS Audit, and accounting Policies / Systems policies of the Bank.
- The committee assesses and reviews the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are accurate and in compliance with relevant guidelines. It interacts with Statutory Auditors before finalization of quarterly / annual financial statements; reviews them and recommends to the Board for approval.
- ACB follows up for compliance of all the issues raised by RBI, during Risk Based Supervision of the Bank under Section 35 of B. R. Act 1949. It also follows up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR)

समिति में कुल पांच सदस्य हैं (वर्तमान में -4- सदस्य) जिसमें शामिल हैं (i) भारत सरकार के नामित निदेशक (ii) भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक (iii) बैंक के कार्यपालक निदेशक- आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों के प्रभारी (iv) सीए निदेशक तथा (v) एक गैर- कार्यपालक निदेशक.

आयोजित बैठकें: 13

बैठकों की तारीखें:	09.05.2018	24.05.2018	25.05.2018
	12.07.2018	26.07.2018	27.07.2018
	10.09.2018	12.10.2018	29.10.2018
	30.10.2018	02.01.2019	28.01.2019
	29.01.2019		

The Committee comprises of -5- members (Presently -4- members) (i) GOI Nominee Director (ii) RBI Nominee Director, (iii) Bank's Executive Director- In charge of Internal Audit Function (iv) CA Director (v) One Non-Executive Director.

No. of Meetings held: 13

Dates of Meetings:	09.05.2018	24.05.2018	25.05.2018
	12.07.2018	26.07.2018	27.07.2018
	10.09.2018	12.10.2018	29.10.2018
	30.10.2018	02.01.2019	28.01.2019
	29.01.2019		

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि /Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल (अध्यक्ष)	Shri Gopal Krishan Agarwal(Chairman)	12.12.2018 to 31.03.2019	3	3
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल (सदस्य)	Shri Gopal Krishan Agarwal (Member)	01.04.2018 to 11.12.2018	10	10
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	12.10.2018 to 31.03.2019	5	5
श्री देबाशीष पांडा	Shri Debasish Panda	05.04.2018 to 31.03.2019	13	3
श्री अजय कुमार	Shri Ajay Kumar	01.04.2018 to 31.03.2019	13	12
सुश्री उषा ए. नारायणन *	Ms. Usha A. Narayanan*	01.04.2018 to 31.08.2018	6	4
सुश्री उषा ए. नारायणन *	Ms. Usha A. Narayanan*	03.09.2018 to 11.12.2018	4	4
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता *	Smt. Papiya Sengupta*	01.04.2018 to 12.10.2018	8	8
श्री लोक रंजन *	Shri Lok Ranjan*	01.04.2018 to 04.04.2018	0	0

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, एसीबी ने अन्य के अलावा निम्नलिखित की समीक्षा की:

- आईएस लेखापरीक्षा नीति के संशोधित वर्जन 7.0 का अनुमोदन.
- समवर्ती लेखापरीक्षा नीति की समीक्षा
- विभिन्न विभागों की नीतियों का अनुमोदन
- विदेशी नियामकों द्वारा अनुषंगियों/शाखाओं की नियामक जांच
- जोखिम न्युनीकरण योजना (आरएमपी-2017) के अंतर्गत आरबीआई की टिप्पणियों की समीक्षा
- धोखाधड़ी के -26- मामलों (₹ 1 लाख एवं अधिक के) को बैंक स्तर पर समाप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को संस्तुति करने के लिए बैंक को प्राधिकृत किया तथा -12- (₹ 1 लाख से कम के) मामले बंद करने के लिए बैंक को प्राधिकृत किया.
- तीनों बैंकों के निदेशक मंडलों द्वारा समामेलन प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद पूर्ववर्ती विजया बैंक और पूर्ववर्ती देना बैंक के शेयरधारकों को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयर आबंटन के लिए शेयर विनिमय अनुपात के अनुमोदन हेतु बोर्ड को संस्तुत किया.

4. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति:

जोखिम प्रबंधन समिति, बैंक द्वारा उठाए जा रहे समग्र जोखिम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है. बैंक ने जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण और जोखिम लेखा परीक्षा को शामिल कर समुचित जोखिम प्रबंधन सभी के लिए संरचना इस दृष्टि से तैयार की है कि विभिन्न श्रेणियों के जोखिमों अर्थात् ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिमों का निर्धारण, प्रबंधन, निगरानी तथा नियंत्रण किया जा सके.

*ceased to be member during the year.

During FY 2018-19, ACB *inter-alia* approved/reviewed the following:

- Approval of revised version 7.0 of IS Audit Policy
- Review of Concurrent audit Policy
- Approval of Policies from various verticals.
- Regulatory examination of Subsidiaries / Branches by Overseas Regulator
- Review of observations made by RBI under Risk Mitigation Plan (RMP-2017)
- Authorized Bank to recommend to RBI for closure of -26- fraud cases (Rs 1 lakh & above) & authorized the Bank for closure of -12- cases (below Rs 1 lakh) at Bank end.
- Recommended to the Board for approval of Share Exchange Ratio for allotment of BOB Shares to the shareholders of eVijaya Bank and eDena Bank consequent to amalgamation proposal approved by the Board for three Banks.

4. Risk Management Committee of the Board:

Risk Management Committee reviews and evaluates the overall risks assumed by the Bank. Bank has set up risk management architecture comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Controls and Risk Audit all with a view to identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.



बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) इस समिति के संयोजक हैं। जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दृढ़ बनाने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन क्षेत्र के तीन विशेषज्ञों (वर्तमान में 2) को निदेशक मंडल के सलाहकार के रूप में शामिल किया है। इन बैठकों की तारीखें और समिति सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है: आयोजित बैठकें: 6

बैठकों की तारीखें:	09.04.2018	26.06.2018	11.09.2018
	21.01.2019	01.03.2019	20.03.2019

Chief Risk Officer (CRO) of the Bank is the Convener of the Committee. To strengthen the expertise on Risk Management, Bank has also inducted three (presently two) specialists in the area of risk management as advisors to the Board who are part of this Committee. The dates of the meetings and attendance of the members of Committee are as under:

No. of Meetings held: 6

Dates of Meetings: 09.04.2018, 26.06.2018, 11.09.2018, 21.01.2019, 01.03.2019, 20.03.2019

निदेशक / सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	अवधि / Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अद्विया (अध्यक्ष)	Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	01.03.2019 to 31.03.2019	2	1
श्री रवि वेंकटेशन*	Shri Ravi Venkatesan*	01.04.2018 to 13.08.2018	2	2
श्री पी एस जयकुमार	Shri P. S. Jayakumar	01.04.2018 to 31.03.2019	6	4
श्री मयंक के मेहता*	Shri Mayank K. Mehta*	01.04.2018 to 30.09.2018	3	3
श्री अशोक कुमार गर्ग*	Shri Ashok Kumar Garg*	01.04.2018 to 30.06.2018	2	2
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	Smt. Papia Sengupta	01.04.2018 to 31.03.2019	6	6
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	20.09.2018 to 31.03.2019	3	3
श्री विक्रमादित्य सिंह खिची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	01.10.2018 to 31.03.2019	3	1
सुश्री उषा ए नारायणन*	Ms. Usha A. Narayanan*	01.04.2018 to 11.12.2018	3	3
श्रीमती सौंदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	01.04.2018 to 31.03.2019	6	3
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Shri Srinivasan Sridhar	20.03.2019 to 31.03.2019	1	1
श्रीमती सुजाता वेंकटरमन -सलाहकार	Smt. Sujatha Venkatramanan - Advisor	01.04.2018 to 31.03.2019	6	4
श्री हिमाद्री भट्टाचार्य -सलाहकार	Shri Himadri Bhattacharya – Advisor	01.04.2018 to 31.03.2019	6	6
श्री श्रीधर श्रीनिवासन- सलाहकार*	Shri Sridhar Srinivasan – Advisor*	01.04.2018 to 15.11.2018	3	3

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

वर्ष के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का अनुमोदन/समीक्षा की:

- कृषि ग्राहकों के लिए लक्ष्य बाजार पद्धति
- एमएसएमई वर्ग के लिए लक्ष्य बाजार पद्धति
- खुदरा ऋण के अंतर्गत आवास ऋण प्रारंभ अंक पत्र/मॉडल व न्यूनतम अंक कार्यनीति
- वैश्विक ऋण एक्सपोजर प्रबंधन नीति
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों पर विवेकसम्मत वैश्विक सीमा निर्धारण.
- कारोबार निरंतरता योजना नीति, डेटा गोपनीयता व संरक्षण नीति, वैश्विक परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति, बैंक के इंटरनेट पेमेंट गेटवे नीति और अन्य जोखिम संबंधी नीतियां.

5. हितधारक संबंधपरक समिति

समिति इस आशय से मॉनिटरिंग करती है कि अंतरण, उपविभाजन, समेकन, नवीकरण, विनिमय अथवा मांग/आवंटन राशि के परांकन की प्रस्तुति तारीख से -15- दिनों के भीतर सभी प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाएं. समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी भी करती है.

इस समिति में कार्यपालक निदेशक (गण) एवं दो गैर कार्यपालक निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं तथा एक गैर कार्यपालक निदेशक इसके अध्यक्ष हैं. इन बैठकों की तारीखें और समिति सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

*ceased to be member during the year.

During the year, the Committee *inter-alia* approved/reviewed following:

- Target Market Approach for Agriculture customers
- Target Market Approach for MSME segment
- Home Loan Origination Scorecard/model and cut off strategy under retail advances.
- Global Credit Exposure Management Policy
- Global Prudential caps on various Industries and Sectors for the financial year 2018-19
- Business Continuity Planning Policy, Data Privacy & Protection Policy, Global Operational Risk Management Policy, Bank's Internet Payment Gateway Policy and other Risk related policies

5. Stakeholders Relationship Committee

The Committee monitors the issuance of share certificates within a period of -15- days of the date of lodgment for transfer, sub-division, consolidation, renewal, exchange or endorsement of calls / allotment money. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The Committee consists of Executive Director (s) and two non-Executive Directors as its members with a Non-Executive Director as its Chairman. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:



आयोजित बैठकें: 4
बैठकों की तारीखें: 06.06.2018 27.09.2018 16.01.2019
22.03.2019

No. of Meetings held: 4
Dates of Meetings: 06.06.2018, 27.09.2018, 16.01.2019,
22.03.2019

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि /Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री भरतकुमार डी. डंगर (अध्यक्ष)	Shri Bharatkumar D. Dangar (Chairman)	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
श्री मयंक के मेहता*	Shri Mayank K. Mehta*	01.04.2018 to 30.09.2018	2	1
श्री अशोक कुमार गर्ग*	Shri Ashok Kumar Garg*	01.04.2018 to 30.06.2018	1	1
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	Smt. Papia Sengupta	01.04.2018 to 31.03.2019	4	3
प्रो. बिजू वर्की	Prof. Biju Varkkey	01.04.2018 to 31.03.2019	4	3
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	20.09.2018 to 31.03.2019	3	3
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	01.10.2018 to 31.03.2019	2	2

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई निम्नलिखित शिकायतों / अनुरोधों को समिति द्वारा नोट किया गया:

*ceased to be member during the year

Following requests/complaints received and resolved during the year were noted by the Committee:

दि. 01.04.2018 तक लंबित Pending as on 01.04.2018	वर्ष के दौरान प्राप्त Received during the year	वर्ष के दौरान निस्तारित Resolved during the year	दि. 31.03.2019 तक लंबित Pending as on 31.03.2019
8	7266	7274	0

श्री पी के अग्रवाल, कम्पनी सचिव को सेबी (सूचीयन करार और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के नियम 6 के तहत बैंक के “अनुपालन अधिकारी” के रूप में नामित किया गया है.

Shri P K Agarwal, Company Secretary is the designated “Compliance Officer” of the Bank under Regulation 6 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.

6. नामांकन समिति

यह समिति बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में निर्वाचन हेतु व्यक्तियों के लिए तथा इस श्रेणी के अंतर्गत मौजूदा निदेशकों हेतु वार्षिक आधार पर “फिट एण्ड प्रॉपर” स्टेटस सुनिश्चित करती है. इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 3
बैठकों की तारीखें: 25.05.2018, 27.11.2018, 10.01.2019

6. Nomination Committee

The Committee ascertains ‘Fit and Proper’ status of persons to be elected as shareholder director on the Board as per the provisions of Section 9(3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and also on annual basis for these directors. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 3
Dates of Meetings: 25.05.2018, 27.11.2018, 10.01.2019

निदेशक / सदस्य का नाम	Name of the Director	अवधि /Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अदिया (अध्यक्ष)	Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	01.03.2019 to 31.03.2019	0	0
श्री रवि वेंकटेशन* (अध्यक्ष)	Shri Ravi Venkatesan* (Chairman)	01.04.2018 to 13.08.2018	1	1
प्रो. बिजू वर्की	Prof. Biju Varkkey	01.04.2018 to 12.05.2018	0	0
प्रो. बिजू वर्की	Prof. Biju Varkkey	14.05.2018 to 31.03.2019	3	3
श्री देबाशीष पंडा	Shri Debasish Panda	14.05.2018 to 31.03.2019	3	3
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल	Shri Gopal Krishan Agarwal	01.11.2018 to 31.03.2019	2	2

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

7. ग्राहक सेवा समितियां

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने एवं नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफॉर्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों के लिए ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करना और संतुष्टि स्तर में सुधार करना शामिल है . समिति निम्न कार्यों का भी निष्पादन करती है :

*ceased to be member during the year.

7. Customer Service Committee

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times. The Committee has also the following tasks:



- सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना.
- अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक बीत जाने पर भी लागू न किए गए बकाया अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना.
- मृत जमाकर्ताओं / लॉकर किराएदारों / सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के जमाकर्ताओं से सम्बन्धित निपटान हेतु 15 दिनों की अवधि से अधिक समय से बकाया दावों की संख्या की स्थिति सम्बन्धी समीक्षा करना.

इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें:	06.06.2018	11.09.2018
	10.12.2018	12.03.2019

- To oversee the functioning of and compliance with the recommendations of the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Public Services.
- Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- Review the status of the number of deceased claims remaining pending / outstanding for settlement beyond 15 days pertaining to deceased depositors / locker hirers / depositor of safe custody articles.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:	06.06.2018,	11.09.2018,
	10.12.2018,	12.03.2019

निदेशक / सदस्य का नाम	Name of the Director	अवधि / Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री पी एस जयकुमार (अध्यक्ष)	Shri P. S. Jayakumar (Chairman)	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
श्री मयंक के मेहता*	Shri Mayank K. Mehta*	01.04.2018 to 30.09.2018	2	2
श्री अशोक कुमार गर्ग*	Shri Ashok Kumar Garg*	01.04.2018 to 30.06.2018	1	1
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	Smt. Papia Sengupta	01.04.2018 to 31.03.2019	4	2
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	20.09.2018 to 31.03.2019	2	2
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	01.10.2018 to 31.03.2019	2	2
प्रो. बिजू वर्की*	Prof. Biju Varkkey*	01.04.2018 to 20.03.2019	4	4
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Shri Srinivasan Sridhar	20.03.2019 to 31.03.2019	0	0

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

*ceased to be member during the year.

8. बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति

समिति बैंक में रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी सम्बन्धी मामलों की निगरानी करता है ताकि:

- धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के लिए उपाय किए जा सकें.
- धोखाधड़ी के पता लगाने में विलम्ब के कारणों की पहचान तथा बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च प्रबन्धकों को उसकी रिपोर्टिंग.
- सीबीआई / पुलिस जांच पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति की निगरानी.
- यह सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और जहां स्टाफ पर कार्रवाई अपेक्षित हो, अविलम्ब की जाए.
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना.

इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें:	24.05.2018	11.09.2018
	16.01.2019	13.03.2019

8. Committee on High Value Frauds

The Committee monitors high value frauds of ₹1.00 crore and above in the Bank so as to:

- Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place remedial measures to plug the same.
- Identify the reasons for delay in detection, if any, and reporting to the Top Management and RBI.
- Monitor progress of CBI / Police Investigation, and recovery position.
- Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:	24.05.2018,	11.09.2018,
	16.01.2019,	13.03.2019

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि /Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष)	Dr. Has Mukh Adhia (Chairman)	01.03.2019 to 31.03.2019	1	1
श्री रवि वेंकटेशन*	Shri Ravi Venkatesan*	01.04.2018 to 13.08.2018	1	1
श्री पी एस जयकुमार	Shri P.S. Jayakumar	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
श्री देबाशीष पांडा	Shri Debasish Panda	05.04.2018 to 31.03.2019	4	1
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल	Shri Gopal Krishan Agarwal	10.05.2018 to 31.03.2019	4	4
सुश्री उषा ए नारायणन*	Ms. Usha A. Narayanan*	01.04.2018 to 11.12.2018	2	2
श्रीमती सौंदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	01.04.2018 to 31.03.2019	4	3
श्री अशोक कुमार गर्ग*	Shri Ashok Kumar Garg*	01.04.2018 to 30.06.2018	1	0
श्री मयंक के मेहता*	Shri Mayank K Mehta*	01.04.2018 to 30.09.2018	2	2
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	Smt. Papia Sengupta	01.04.2018 to 31.03.2019	4	3
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	20.09.2018 to 31.03.2019	2	2
श्री विक्रमादित्य सिंह खिची	Shri Vikr amaditya Singh Khichi	01.10.2018 to 31.03.2019	2	2
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Shri Srinivasan Sridhar	20.03.2019 to 31.03.2019	0	0
श्री के. एन. नायक- सीवीओ	Shri K N Nayak - CVO	01.04.2018 to 31.03.2019	4	3

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की समीक्षा / अनुमोदन किया है :

- उद्यमवार धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन.
- बड़ी राशि के धोखाधड़ी मामलों में मुख्य कारणों का विशलेषण.
- सहायता संघ ऋण पर एसओपी.
- धोखाधड़ी पता चलने व उसकी सूचना देने में कुल समय कम करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर त्वरित अनुक्रिया टीम और अंचल कार्यालय स्तर पर विशेष अन्वेषण टीम के लिए एसओपी.
- एनपीए और उच्च मूल्य के ऋण खातों में फॉरेंसिक लेखापरीक्षा पर एसओपी.

9. बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं सायबर धोखाधड़ियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यदल की सिफारीशों के अनुसार, बैंक ने अपने निदेशक मंडल की दिनांक 27 फरवरी, 2012 की बैठक में आईटी कार्यनीति समिति का गठन किया. बैंक ने तीन आईटी विशेषज्ञों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, जो इस समिति के सदस्य हैं. इन बैठकों की तारीखें और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें: 06.06.2018 21.09.2018
29.11.2018 13.03.2019

*ceased to be member during the year

During FY 2018-19, the Committee *inter-alia* approved/reviewed the following:

- Implementation of Enterprise Wide Fraud Risk Management Policy
- Root Cause Analysis of High Value Fraud Cases
- An SOP on Consortium Lending.
- An SOP on Quick Response Team (QRT) at Regional Office Level and Special Investigation Team (SIT) at Zonal Office Level to reduce TAT for detection and reporting of frauds.
- An SOP on Forensic Audit in NPA and high value advances accounts.

9. IT Strategy Committee of the Bank

In accordance with the recommendations of Reserve Bank of India Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management & Cyber Frauds, the Bank at its Board meeting held on 27th February, 2012, constituted an IT Strategy Committee. Bank has inducted three IT specialists as Advisors who are also members of the Committee. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings: 06.06.2018, 21.09.2018,
29.11.2018, 13.03.2019

निदेशक / सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	अवधि /Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री रवि वेंकटेशन*	Shri Ravi Venkatesan*	01.04.2018 to 13.08.2018	1	1
श्री पी एस जयकुमार	Shri P.S. Jayakumar	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt Papia Sengupta*	01.04.2018 to 12.10.2018	2	2
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	12.10.2018 to 31.03.2019	2	2



श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल	Shri Gopal Krishan Agarwal	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
डॉ. दीपक बी पाठक- आमंत्रित	Dr. Deepak B Pathak – Invitee	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
श्री मयंक के मेहता- आमंत्रित *	Shri Mayank K Mehta – Invitee*	01.04.2018 to 30.09.2018	2	1
श्री अशोक कुमार गर्ग- आमंत्रित*	Shri Ashok Kumar Garg – Invitee*	01.04.2018 to 30.06.2018	1	1
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता- आमंत्रित	Smt. Papia Sengupta – Invitee	12.10.2018 to 31.03.2019	2	1
श्री शांति लाल जैन- आमंत्रित*	Shri Shanti Lal Jain – Invitee *	20.09.2018 to 11.10.2018	1	1
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची- आमंत्रित	Shri Vikramaditya Singh Khichi – Invitee	01.10.2018 to 31.03.2019	2	1
श्री एस. रामकृष्णन- सलाहकार*	Shri S. Ramakrishnan – Advisor*	01.04.2018 to 10.08.2018	1	0
श्री कल्याण राव- सलाहकार	Shri. Kalyana Rao – Advisor	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
डॉ. दीपक बी पाठक- सलाहकार	Dr. Deepak B. Phatak - Advisor	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
श्री भरतकुमार डी डांगर	Shri Bharatkumar D Dangar	20.03.2019 to 31.03.2019	0	0

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

बैंक, ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर अपने उत्पाद, प्रणाली व संरचना में सुधार कर रहा है. बैंकिंग सेवाओं के डिजिटल होने पर ग्राहकों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं जिससे कि सूचना प्रौद्योगिकी संरचना का निरंतर उन्नयन करना पड़ता है. आईटी उत्कृष्टता केन्द्र (आईटी सीओई) और विश्लेषणात्मक उत्कृष्टता केन्द्र (एसीओई) बनाए गए हैं जिसमें उच्चतर स्तर कि डिजिटल व विश्लेषणात्मक आयोजन किए जाते रहें. बैंक ने हैदराबाद में एक नया डेटा केन्द्र भी स्थापित किया है. बैंक, पूर्ववर्ती देना बैंक और पूर्ववर्ती विजया बैंक के विभिन्न तकनीकी प्लैटफॉर्म को अपनी तकनीकी संरचना के साथ समामेलन की प्रक्रिया में जुटा है.

10. मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की कार्यनीति सलाहकार समिति

यह समिति मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न मामलों/मुद्दों पर चर्चा करती है. बैंक ने मा.सं. के क्षेत्र में दो विशेषज्ञ को बोर्ड के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, जो इस समिति के भी सदस्य हैं. इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 7

बैठकों की तारीखें:	09.04.2018	12.07.2018	09.08.2018
	01.12.2018	12.12.2018	22.03.2019
	25.03.2019		

*ceased to be member during the year

Bank is constantly evolving its products, systems and structure to meet the growing aspirations of the customers. Digitization of banking services has raised the expectations of the customers thus driving continuous upgradation of the IT infrastructure. IT Center of Excellence (IT COE) and Analytical Centre of Excellence (ACoE) are created to create a next-level of digital & analytics organization. Bank has also setup new data center in Hyderabad. Bank is in process of amalgamation of various technological platform of the eDena Bank and eVijaya Bank with own technological infrastructure.

10. Strategic Advisory Committee of the Board on HR

The Committee discusses various matters/issues related to Human Resources. Bank has inducted two specialists in the area of HR as Advisors to the Board who are also members of the Committee. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 7

Dates of Meetings:	09.04.2018,	12.07.2018,	09.08.2018,
	01.12.2018,	12.12.2018,	22.03.2019,
	25.03.2019.		

निदेशक का नाम	Name of the Director/ Member	अवधि /Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
प्रो. बिजू वर्की (अध्यक्ष)	Prof. Biju Varkkey (Chairman)	01.04.2018 to 31.03.2019	7	7
श्री पी एस जयकुमार	Shri P. S. Jayakumar	01.04.2018 to 31.03.2019	7	5
श्री शांति लाल जैन- का.नि (मा.सं.)	Shri Shanti Lal Jain – ED (HR)	12.10.2018 to 31.03.2019	4	3
श्री कृश शंकर- सलाहकार	Shri Krish Shankar – Advisor	01.04.2018 to 31.03.2019	7	2
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता- का.नि (मा.सं.)	Smt. Papia Sengupta – ED (HR)	01.04.2018 to 11.10.2018	3	3
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची- आमंत्रित	Shri Vikramaditya Singh Khichi – Invitee	01.10.2018 to 31.03.2019	4	3
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Shri Srinivasan Sridhar	26.03.2019 to 31.03.2019	0	0
श्री रवि वेंकटेशन- आमंत्रित *	Shri Ravi Venkatesan – Invitee*	01.04.2018 to 13.08.2018	3	2
श्री मयंक के मेहता- आमंत्रित *	Shri Mayank K. Mehta – Invitee*	01.04.2018 to 30.09.2018	3	3
श्री अशोक कुमार गर्ग- आमंत्रित*	Shri Ashok Kumar Garg – Invitee*	01.04.2018 to 30.06.2018	1	1
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता- आमंत्रित*	Smt. Papia Sengupta – Invitee*	12.10.2018 to 31.03.2019	4	2
श्री शांति लाल जैन- आमंत्रित*	Shri Shanti Lal Jain – Invitee*	20.09.2018 to 11.10.2018	0	0
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची- आमंत्रित	Shri Vikramaditya Singh Khichi – Invitee	01.10.2018 to 31.03.2019	4	2
श्री संजीव सचर- सलाहकार*	Shri Sanjeev Sachar - Advisor*	01.04.2018 to 30.06.2018	1	0

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

*ceased to be director during the year

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ समिति ने निम्न की समीक्षा की / अनुमोदन किया है :

- उत्तराधिकार योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए अति महत्वपूर्ण पदों की समीक्षा
- पदोन्नति नीति में परिवर्तन
- बीआरआईटीई कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू करना
- विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समामेलन की योजना की अधिसूचना के बाद स्टाफ कल्याण व स्टाफ ऋणों में सामंजस्य और समीक्षा

11. निदेशकों की समिति

यह समिति वित्त मंत्रालय के अनुसूच्य सतर्कता/गैर-सतर्कता सम्बन्धी अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा का कार्य करती है. इन बैठकों की तारीखें और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें: 07.06.2018, 10.09.2018, 29.11.2018,
20.02.2019

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि /Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री पी एस जयकुमार (अध्यक्ष)	Shri P S Jayakumar (Chairman)	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
श्री अजय कुमार	Shri Ajay Kumar	01.04.2018 to 31.03.2019	4	3
श्री देबाशीष पांडा	Shri Debasish Panda	05.04.2018 to 31.03.2019	4	2
श्री लोक रंजन*	Shri Lok Ranjan*	01.04.2018 to 04.04.2018	0	0

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

12. वसूली निगरानी के लिए समिति

यह समिति बैंक में एनपीए प्रबंधन की समीक्षा करती है; ऋण एवं अग्रिमों की वसूली प्रणाली एवं वसूली कार्यनिष्पादन की निगरानी करती है और बड़ी राशि के एनपीए खातों की निगरानी करती है. इन बैठकों की तारीखें और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 7

बैठकों की तारीखें: 10.05.2018, 04.07.2018, 13.08.2018,
09.10.2018, 31.01.2019, 20.02.2019,
13.03.2019

निदेशक का नाम	Name of the Director / Member	अवधि /Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री पी एस जयकुमार (अध्यक्ष)	Shri P. S. Jayakumar (Chairman)	01.04.2018 to 31.03.2019	7	6
श्री मयंक के मेहता*	Shri Mayank K. Mehta*	01.04.2018 to 30.09.2018	3	3
श्री अशोक कुमार गर्ग*	Shri Ashok Kumar Garg*	01.04.2018 to 30.06.2018	1	0
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	Smt. Papia Sengupta	01.04.2018 to 31.03.2019	7	6
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	20.09.2018 to 31.03.2019	4	4
श्री विक्रमादित्य सिंह खिची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	01.10.2018 to 31.03.2019	4	2
श्री भरत कुमार डी. डांगर	Shri Bharatkumar D. Dangar	01.04.2018 to 31.03.2019	7	7
श्रीमती सौंदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	01.04.2018 to 31.03.2019	7	4
श्री देबाशीष पांडा	Shri Debasish Panda	05.04.2018 to 31.03.2019	7	0

During FY 2018-19, the Committee *inter-alia* approved/reviewed the following:

- Review of identified critical positions under Succession Planning
- Changes in promotion policy
- Implementation of Non-monetary incentives under BRITE Program
- Review and harmonization of Staff Benefits & Staff Loans after notification of scheme of amalgamation of Vijaya Bank & Dena Bank with Bank of Baroda

11. Committee of Directors

This Committee deals with review of vigilance/non-vigilance disciplinary cases and departmental enquiries in line with MOF guidelines. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings: 07.06.2018, 10.09.2018, 29.11.2018,
20.02.2019

*ceased to be director during the year

12. Committee for Monitoring of Recovery

The Committee reviews NPA management in the Bank; provides oversight on collection system and recovery of loans & advances and monitors recovery performance in large value NPA accounts. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 7

Dates of Meetings: 10.05.2018, 04.07.2018, 13.08.2018,
09.10.2018, 31.01.2019, 20.02.2019,
13.03.2019



श्री एन. के. सिंघल- म.प्र. (ऋण निगरानी)	Shri N K Singhal – GM (Credit Monitoring)	01.04.2018 to 31.10.2018	4	0
श्री रजनीश शर्मा/ श्री नागेश श्रीवास्तव- म.प्र. (लार्ज कार्पोरेट बैंकिंग)	Shri Rajneesh Sharma / Shri Nagesh Srivastava – GM (Large Corporate Banking)	01.04.2018 to 31.03.2019	7	3
श्री के. जी. गोयल- म.प्र. (ऋण निगरानी)	Shri K G Goyal – GM (Credit Monitoring)	01.11.2018 to 31.03.2019	3	3
श्री लोक रंजन*	Shri Lok Ranjan*	01.04.2018 to 04.04.2018	0	0

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

*ceased to be member during the year.

समिति ने एनपीए एवं बट्टाकृत खातों में वसूली की समग्र स्थिति, एनपीए खातों में वसूली कार्रवाई की स्थिति, झरादतन चूककर्ता, आईबीसी के अंतर्गत प्रगति एवं वसूली में वृद्धि हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई विभिन्न कार्यनीतियों/पहलों के समग्र कार्यावयन/प्रगति की समीक्षा की।

13. शेयर / बांड अंतरण समिति

समिति शेयरों/ बांडों के अंतरण/ हस्तांतरण तथा अन्य मामलों जैसे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करना, नाम हटाना, स्टेटस बदलना आदि पर विचार करती है एवं अनुमोदन करती है।

आयोजित बैठकें: 52

बैठकों की तारीखें	09.04.2018	18.04.2018	25.04.2018
	27.04.2018	05.05.2018	10.05.2018
	18.05.2018	28.05.2018	04.06.2018
	12.06.2018	20.06.2018	25.06.2018
	28.06.2018	10.07.2018	17.07.2018
	23.07.2018	31.07.2018	06.08.2018
	10.08.2018	21.08.2018	28.08.2018
	01.09.2018	06.09.2018	15.09.2018
	21.09.2018	01.10.2018	08.10.2018
	15.10.2018	22.10.2018	29.10.2018
	05.11.2018	15.11.2018	19.11.2018
	26.11.2018	01.12.2018	11.12.2018
	18.12.2018	27.12.2018	31.12.2018
	08.01.2019	11.01.2019	18.01.2019
	28.01.2019	05.02.2019	07.02.2019
	15.02.2019	25.02.2019	01.03.2019
	08.03.2019	18.03.2019	28.03.2019
	30.03.2019		

The Committee reviewed overall position of recovery in NPA and written off accounts, status of recovery actions in NPA accounts, wilful defaulters, progress under IBC and overall implementation/progress of various strategies/initiatives taken by the Bank for maximization of recovery.

13. Shares/Bonds Transfer Committee:

The Committee considers and approves transfer / transmission of Shares / Bonds and other issues like issue of duplicate share certificate, deletion of name, change of status, etc.

No. of Meetings held : 52

Dates of Meetings:	09-04-2018	18-04-2018	25-04-2018
	27-04-2018	05-05-2018	10-05-2018
	18-05-2018	28-05-2018	04-06-2018
	12-06-2018	20-06-2018	25-06-2018
	28-06-2018	10-07-2018	17-07-2018
	23-07-2018	31-07-2018	06-08-2018
	10-08-2018	21-08-2018	28-08-2018
	01-09-2018	06-09-2018	15-09-2018
	21-09-2018	01-10-2018	08-10-2018
	15-10-2018	22-10-2018	29-10-2018
	05-11-2018	15-11-2018	19-11-2018
	26-11-2018	01-12-2018	11-12-2018
	18-12-2018	27-12-2018	31-12-2018
	08-01-2019	11-01-2019	18-01-2019
	28-01-2019	05-02-2019	07-02-2019
	15-02-2019	25-02-2019	01-03-2019
	08-03-2019	18-03-2019	28-03-2019
	30-03-2019		

निदेशक का नाम	Name of the Director / Member	अवधि /Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री पी एस जयकुमार	Shri P. S. Jayakumar	01.04.2018 to 31.03.2019	52	28
श्री मयंक के मेहता*	Shri Mayank K. Mehta*	01.04.2018 to 30.09.2018	25	17
श्री अशोक कुमार गर्ग*	Shri Ashok Kumar Garg*	01.04.2018 to 30.06.2018	13	9
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	Smt. Papia Sengupta	01.04.2018 to 31.03.2019	52	42
श्री शान्ति लाल जैन	Shri Shantil Lal Jain	20.09.2018 to 31.03.2019	28	25
श्री विक्रमादित्य सिंह खिची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	01.10.2018 to 31.03.2019	27	22
श्री आर के माथुर	Shri R K Mathur	15.01.2018 to 31.03.2019	52	43
श्री कमल के महाजन*	Shri Kamal K Mahajan*	01.04.2018 to 31.01.2019	43	18
श्री एन वेणुगोपाल	Shri N Venugopal	01.04.2018 to 31.03.2019	52	43

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

*ceased to be member during the year.

14. पारिश्रमिक समिति

समिति बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करती है और निर्णय लेती है तथा 31.03.2019 को समिति में निम्न सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	निदेशक/सदस्य का नाम	सदस्य/अध्यक्ष
1	डॉ. हसमुख अडिया	अध्यक्ष
2	श्री अजय कुमार	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

15. ग्रामीण-वित्तीय समावेशन और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर बोर्ड की संचालन समिति :

समिति द्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत सभी गतिविधियों का पर्यवेक्षण किया जाता है तथा बैंक द्वारा किये जाने वाले सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा उसके सामाजिक प्रभाव हेतु पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित किया जाता है। इन बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 4		
बैठकों की तारीखें:	06.06.2018	27.09.2018
	16.01.2019	13.03.2019

14. Remuneration Committee

The Committee evaluates and decides upon the performance of Whole Time Directors of the Bank and has following Members as on 31.03.2019:

Sr. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1	Dr. Hasmukh Adhia	Chairman
2	Shri Ajay Kumar	Member

During the Financial Year 2018-19, no meeting of the Remuneration Committee was held.

15. Steering Committee of the Board on Rural – FI & CSR

The Committee oversees all activities under the Bank's Corporate Social Responsibility Policy and institutes a transparent monitoring mechanism for implementation of CSR projects or programs or activities undertaken by the Bank and social impact of the same. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings: 06.06.2018, 27.09.2018, 16.01.2019, 13.03.2019

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि /Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अडिया (अध्यक्ष)	Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	11.03.2019 to 31.03.2019	1	1
श्री पी एस जयकुमार	Shri P S Jayakumar	01.04.2018 to 31.03.2019	4	3
श्री मयंक के मेहता*	Shri Mayank K. Mehta*	01.04.2018 to 30.09.2018	2	2
श्री अशोक कुमार गर्ग*	Shri Ashok Kumar Garg*	01.04.2018 to 30.06.2018	1	1
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	Smt. Papia Sengupta	01.04.2018 to 31.03.2019	4	3
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	20.09.2018 to 31.03.2019	3	3
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	01.10.2018 to 31.03.2019	2	2
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल	Shri Gopal Krishan Agarwal	01.04.2018 to 31.03.2019	4	3
श्री भरत कुमार डी. डंगर	Shri Bharatkumar D Dangar	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रह

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की समीक्षा की/अनुमोदित किया।

- फैजाबाद जिला, उत्तर प्रदेश के 5 ब्लॉक में वित्तीय साक्षरता हेतु केंद्रों की स्थापना विभिन्न आरसेटी और कौशल विकास संबंधी भवन निर्माण के लिए बीएसवीएस नीधि को रु 219.95 लाख का अतिरिक्त बजट अनुमोदित किया
- कृषि, वित्तीय समावेशन विभाग के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई और हमारे बैंक ने कृषि और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में सभी अनिवार्य लक्ष्य पार कर लिये हैं। हम वर्ष दर वर्ष वृद्धि में हमारा बैंक सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पहले स्थान पर है और वायटीडी वृद्धि के अंतर्गत कृषि वित्त में दूसरे स्थान पर है (केनरा बैंक के बाद)। लघु बीमा में हम लगातार दूसरे वर्ष प्रथम स्थान पर रहे।

16. सूचीबद्ध न हो, ऐसी अनुषंगियों की गवर्नेंस समिति

सूचीबद्ध न हो, ऐसी अनुषंगियों के गवर्नेंस पर निगरानी रखने के लिए सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार यह समिति गठित की गई है। इसकी बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

*ceased to be member during the year

During FY 2018-19, the Committee *inter-alia* approved/reviewed the following:

- Setting up of Centers for Financial Literacy (CFLs) in 5 blocks of Faizabad District, UP.
- Approved additional budget of Rs 219.95 lac to BSVS trust for construction of buildings of various RSETIs and skill development.
- Reviewed the performance of Agriculture, FI department and our Bank has crossed all mandatory targets in Agriculture and Priority sector. Our Bank's YOY growth is the highest among all PSBs and YTD growth under Agriculture finance is 2nd highest (next to Canara bank) amongst all the public sector Banks. Our position in micro-insurance remained number one for the 2nd consecutive year.

16. Governance Committee for Unlisted Subsidiaries

This Committee is constituted as per SEBI guidelines to monitor the governance of unlisted subsidiaries. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:



आयोजित बैठकें: 1

No. of Meetings held: 1

बैठकों की तारीखें: 12.03.2019

Dates of Meetings: 12.03.2019

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि /Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री पी एस जयकुमार(अध्यक्ष)	Shri P.S. Jayakumar (Chairman)	29.11.2018 to 31.03.2019	1	1
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	Smt. Papia Sengupta	29.11.2018 to 31.03.2019	1	1
प्रो. बिजू वरकी	Prof. Biju Varkkey	29.11.2018 to 31.03.2019	1	1
श्रीमती सौदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	29.11.2018 to 31.03.2019	1	1

17. इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति

यह समिति भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 7 जनवरी, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुसार इरादतन चूककर्ताओं की पहचान संबंधी प्रणाली में संशोधन के अनुसार गठित की गई है।

संपन्न बैठकों की संख्या : 12

बैठकों की तारीख : 06.06.2018, 29.06.2018, 14.08.2018, 04.09.2018, 12.10.2018, 23.01.2019, 29.01.2019, 31.01.2019, 20.02.2019, 12.03.2019, 20.03.2019, 22.03.2019

17. Review Committee on Wilful Defaulters

This Committee is constituted as per modification in the Mechanism for identification of Wilful Defaulters as per Reserve Bank of India guidelines dated 7th January, 2015.

No. of Meetings held : 12

Dates of Meetings: 06.06.2018, 29.06.2018, 14.08.2018, 04.09.2018, 12.10.2018, 23.01.2019, 29.01.2019, 31.01.2019, 20.02.2019, 12.03.2019, 20.03.2019, 22.03.2019

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि /Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री पी एस जयकुमार	Shri P S Jayakumar	01.04.2018 to 31.03.2019	12	12
प्रो. बीजू वरकी	Prof. Biju Varkkey	01.04.2018 to 31.03.2019	12	12
श्री भरत कुमार डी. डांगर	Shri Bharatkumar D Dangar	01.04.2018 to 31.03.2019	12	12

निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर- कार्यपालक निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार समय - समय पर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से यथा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) को पारिश्रमिक का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार वेतन के स्तर में किया गया। इस समय बैंक में कोई स्टॉक ऑप्शन योजना नहीं है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा निम्नानुसार है: वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक

नाम	पदनाम	वित्त वर्ष 2018-19 में पारिश्रमिक (₹)
श्री पी. एस. जयकुमार	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	33,45,175/-
श्री मयंक के. मेहता*	कार्यपालक निदेशक	55,24,659/-
श्री अशोक कुमार गर्ग*	कार्यपालक निदेशक	46,38,773/-
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	कार्यपालक निदेशक	29,77,837/-
श्री शांति लाल जैन	कार्यपालक निदेशक	15,15,397/-
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	कार्यपालक निदेशक	14,23,096/-

* वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त

वर्ष 2018-19 के दौरान प्रदत्त कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन- शून्य

REMUNERATION OF DIRECTORS

The remuneration including travelling and halting expenses to non-Executive Directors are paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Managing Director & CEO and Executive Directors (whole time directors) are paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. At present the Bank has no Stock Option Scheme. The details of remuneration paid to the Managing Director & CEO and Executive Director/s are detailed below:

Remuneration paid during the Financial Year 2018-19:

Name	Designation	Remuneration in FY 2018-19 (₹)
Shri P S Jayakumar	MD & CEO	33,45,175/-
Shri Mayank K. Mehta*	Executive Director	55,24,659/-
Shri Ashok Kumar Garg*	Executive Director	46,38,773/-
Smt. Papia Sengupta	Executive Director	29,77,837/-
Shri Shanti Lal Jain	Executive Director	15,15,397/-
Shri Vikramaditya Singh Khichi	Executive Director	14,23,096/-

*retired during the year

Performance Linked Incentives paid during 2018-19: Nil

गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किया गया बैठक शुल्क:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, सरकारी दिशानिर्देशों के साथ पठित, के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडल समितियों में भाग लेने हेतु गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशकों को किसी प्रकार का बैठक शुल्क देय नहीं है) :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	राशि (₹)
1.	डॉ. हसमुख अडिया	1,25,000
2.	श्री रवि वेंकटेशन	2,10,000
3.	श्री भरतकुमार डी डांगर	9,35,000
4.	श्रीमती उषा ए. नारायणन	3,70,000
5.	प्रो. बिजू वरुकी	9,50,000
6.	श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल	7,40,000
7.	श्रीमती सौंदरा कुमार	7,00,000
8.	श्री श्रीनिवासन श्रीधर	2,10,000

सामान्य सभा की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बैंक के शेयरधारकों की 22 वीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई, 2018 को बड़ौदा में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. श्री रवि वेंकटेशन | अध्यक्ष |
| 2. श्री पी. एस. जयकुमार | प्रबंध निदेश एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| 3. श्री मयंक के मेहता | कार्यपालक निदेशक |
| 4. श्रीमती पापिया सेनगुप्ता | कार्यपालक निदेशक |
| 5. श्री अजय कुमार | निदेशक (आरबीआई नामिती) |
| 6. प्रो. बिजू वरुकी | निदेशक |
| 7. श्री भरतकुमार डी डांगर | निदेशक (शेयरधारक)- अध्यक्ष एसआरसी |
| 8. श्रीमती उषा ए. नारायणन | निदेशक (शेयरधारक)- अध्यक्ष एसीबी |

गत तीन वर्षों के दौरान सामान्य सभा की आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	व्यवसाय कार्यनिष्पादन Business Performed
असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) / Extra Ordinary General Meeting (EGM)	21 जनवरी, 2019 / 21 st January 2019 at 10.00 a.m.	बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा भवन, सर सयाजी सभागार, भू- तल, प्रधान कार्यालय, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा- 390007 / Bank of Baroda, "Baroda Bhavan", Sir Sayaji Hall, Ground Floor, Head Office, R C Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390007	बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी शेयर खरीदी योजना (बीओबी-ईपीएस) के अंतर्गत कर्मचारियों और पूर्ण कालिक निदेशकों को इक्विटी शेयर जारी करना / Issue of Equity Shares to Employees and Whole Time Directors of the Bank under Bank of Baroda Employee Share Purchase Scheme ("BOB-ESPS")
असाधारण सामान्य बैठक / EGM	10 दिसंबर, 2018 पूर्वाह्न 10.00 बजे / 10 th December 2018 at 10.00 a.m.	सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पाद्रा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390020	श्री श्रीनिवासन श्रीधर को बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया. / Elected Shri Srinivasan Sridhar as Shareholder Director of the Bank.
22वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम)/22 nd Annual General Meeting (AGM)	13 जुलाई, 2018 पूर्वाह्न 10.00 बजे / 13 th July, 2018 at 10.00 a.m.	Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2017-18 के वार्षिक वित्तीय परिणाम का अनुमोदन किया गया. विशेष संकल्प द्वारा कई विधियों से ₹ 6000 करोड़ तक इक्विटी पूंजी संग्रहीत करने के लिए अनुमोदन दिया गया. Approved Annual Financial Results for the year 2017-18. Approved raising of Equity Capital upto ₹ 6,000/- crore by way of various modes by Special Resolution.
असाधारण सामान्य बैठक / EGM	13 मार्च, 2018 पूर्वाह्न 10.00 बजे / 13 th March 2018 at 10.00 a.m.		विशेष संकल्प द्वारा भारत सरकार को अधिमानी आधार पर प्रत्येक ₹ 2/- के अंकित मूल्य की दर से ₹ 157.46 प्रति शेयर पर 34,13,56,534 के इक्विटी शेयर जारी करना अनुमोदित किया गया. / Approved by Special Resolution to issue upto 34,13,56,534 equity shares of the FV of ₹ 2/- each @ ₹ 157.46 per share to GOI on preferential basis.

Sitting Fee paid to Non-executive Directors:

The Sitting Fee is paid to the non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid during the Year 2018-19 are as under (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Directors representing Government of India & RBI):

Sr. No.	Name of the Director	Amount (₹)
1	Dr. Hasमुख Adhia	1,25,000
2	Shri Ravi Venkatesan	2,10,000
3	Shri Bharatkumar D. Dangar	9,35,000
4	Ms. Usha A. Narayanan	3,70,000
5	Prof. Biju Varkkey	9,50,000
6	Shri Gopal Krishan Agarwal	7,40,000
7	Smt Soundara Kumar	7,00,000
8	Shri Srinivasan Sridhar	2,10,000

GENERAL BODY MEETINGS

The 22nd Annual General Meeting of the shareholders of the Bank for FY 2017-18 was held on Friday, 13th July 2018 at Vadodara, in which following directors participated.

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Shri Ravi Venkatesan | Chairman |
| 2. Shri P. S. Jayakumar | Managing Director & CEO |
| 3. Shri Mayank K. Mehta | Executive Director |
| 4. Smt. Papia Sengupta | Executive Director |
| 5. Shri Ajay Kumar | Director (RBI Nominee) |
| 6. Prof. Biju Varkkey | Director |
| 7. Shri Bharatkumar D Dangar | Director (Shareholder)- Chairman SRC |
| 8. Ms. Usha A Narayanan | Director (Shareholder) -Chairperson ACB |

The details of General Body Meetings held during the last three years are given below:



बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	व्यवसाय कार्यनिष्पादन Business Performed
असाधारण सामान्य बैठक / EGM	22 दिसंबर, 2017 पूर्वाह्न 10.00 बजे / 22nd December 2017 at 10.00 a.m.		श्री भरत कुमार डांगर तथा श्रीमती सौंदरा कुमार को बैंक के शेयरधारक निदेशकों के रूप में निर्वाचित किया गया. / Elected Shri Bharatkumar D Dangar and Smt Soundara Kumar as Shareholder Directors of the Bank.
21 वीं वार्षिक सामान्य बैठक / 21 st AGM	30 जून, 2017 पूर्वाह्न 10.15 बजे / 30 th June, 2017 at 10.15 a.m.		<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2016-17 के वार्षिक वित्तीय परिणामों का अनुमोदन किया गया तथा लाभांश घोषित किया गया. विशेष संकल्प द्वारा कई विधियों से रु 6000 करोड़ तक इक्विटी पूंजी संग्रहीत करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया. Approved Annual Financial Results and declared dividend for the year 2016-17. Approved raising of Equity Capital upto ₹ 6,000/- crore by way of various modes by Special Resolution.
20 वीं वार्षिक सामान्य बैठक / 20 th AGM	24 जून, 2016 मध्याह्न 12.00 बजे / 24 th June, 2016 at 12.00 Noon		वर्ष 2015-16 के वार्षिक वित्तीय परिणाम अनुमोदित किए गए. कोई विशेष संकल्प नहीं था. / Approved Annual Financial Results 2015-16. There was no Special Resolution.

संप्रेषण के साधन

बैंक मौजूदा संचार साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से सम्बद्ध जानकारी के बारे में सूचित करने की आवश्यकता समझता है. निवेशकों एवं हितधारकों को समय पर, पारदर्शी तरीके से एवं व्यापक स्तर पर सूचनाओं का प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जाता है. शेयरधारकों की सहभागिता में सुविधा हो इसके लिए बैंक इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है और प्रोक्सी एवं प्रतिनिधियों को शेयरधारकों की अनुपस्थिति में उनकी ओर से मतदान की अनुमति देता है.

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मण्डल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं. ये परिणाम कम से कम एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, जिसका प्रसार पूरे भारत में हो और दूसरा समाचार पत्र उस राज्य की भाषा, जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है अर्थात् गुजरात (गुजराती में), में प्रकाशित करवाए जाते हैं. बैंक वित्तीय परिणामों तथा प्रबंधन के दृष्टिकोण के संबंध में विश्लेषकों की बैठकें, मीडिया मीट, निवेशकों/विश्लेषकों के साथ भी बैठकें आयोजित करता है.

बैंक के तिमाही / ईयर टू डेट / वार्षिक वित्तीय परिणामों के साथ-साथ विश्लेषकों को दी गई प्रेजेंटेशन की प्रति तथा अन्य आधिकारिक समाचार बैंक की वेबसाइट <http://www.bankofbaroda.com> पर उपलब्ध रहते हैं. विश्लेषक बैठक में की गई प्रस्तुति के वेबकास्ट का सीधा प्रसारण देखने हेतु वेबसाइट में लिंक उपलब्ध कराया जाता है और संगृहीत वेबकास्ट भी 30 दिनों तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है.

MEANS OF COMMUNICATION

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests through present means of communication. Timely, transparent and enhanced level of disclosures to investors and stakeholders is ensured. To facilitate shareholders' participation, Bank is using Electronic voting platform and allowing proxies and authorized representatives to vote on behalf of shareholders in absentia.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in at least one English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. Gujarat (in Gujarati). The Bank also organizes analyst meets, media meets, meetings with investors/analysts etc. on Bank's financial results and management outlook on the same.

The Quarterly / Year to Date / Annual Financial Results of the Bank as well as the copy of presentation made to Analysts and other official announcements are posted on the Bank's Website - www.bankofbaroda.com. The live web cast of presentation made to Analysts' Meet is made accessible from links uploaded in the website and the archived webcast is also made available on the website for 30 days.



वित्तीय कैलेंडर

FINANCIAL CALENDAR

Financial Year वित्तीय वर्ष	1 st April, 2018 to 31 st March, 2019 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019
खातों (स्टैंडअलोन एवं समेकित) पर विचार विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक Board Meeting for considering of Accounts (Standalone & Consolidated)	22 मई, 2019 22 nd May, 2019
23वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, समय एवं स्थान Date, Time & Venue of the 23 rd AGM	दिनांक : 27 जून, 2019 प्रातः 10.00 बजे स्थान: दीनदयाल उपाध्याय नगर गृह, कैलाश पार्टी प्लॉट के सामने, आजवा चौकडी के पास, वडोदरा - 390 019 Date - 27th June, 2019 Time: 10.00 a.m. Venue: Pandit Deendayal Upadhyay Nagar Gruh, Opp. Kailash Party Plot, Near Ajwa Chowkdi, Ajwa Road, Vadodara - 390 019.
बहियां बन्द करने की तारीख Book Closure Dates	20 जून, 2019 से 27 जून, 2019 तक From 20th June, 2019 to 27th June, 2019
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख Last Date for receipt of Proxy Forms	21 जून, 2019 21st June, 2019

शेयरधारकों से संबद्ध सूचना

बैंक के शेयर भारत में निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. "एक्सचेंज प्लाजा", बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई -400 051 एनएसई कोड : BANKBARODA	बीएसई लिमिटेड, फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, 25 वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400 001 बीएसई कोड : 532134
---	--

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के संबंध में वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है.

स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के मूल्य, शेयरों के सौदों की मात्रा और इंडेक्स डाटा

ए. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर मूल्य (01.04.2018 से 31.03.2019 तक) (प्रत्येक ₹ 2/- के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर)

अवधि Period	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) National Stock Exchange of India Limited (NSE)			बीएसई लि. (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) BSE LTD. (Bombay Stock Exchange)		
	उच्चतम (₹.) Highest (₹)	न्यूनतम (₹.) Lowest (₹)	व्यापार परिमाण Volume Traded (Nos.)	उच्चतम (₹.) Highest (₹)	न्यूनतम (₹.) Lowest (₹)	व्यापार परिमाण Volume Traded (Nos.)
अप्रैल/APR 2018	155.30	135.25	25,50,05,866	155.35	135.45	1,70,10,823
मई/MAY 2018	149.45	125.25	28,99,31,354	149.35	125.50	1,93,04,373
जून/JUN 2018	138.50	112.15	33,55,94,591	138.45	112.30	4,08,04,564
जुलाई/JUL 2018	155.70	109.50	39,92,84,180	155.55	109.60	4,83,23,108
अगस्त/AUG 2018	157.50	141.45	31,36,79,725	157.45	141.85	1,98,24,840
सितंबर/SEP 2018	156.50	97.35	62,48,18,606	156.25	97.00	3,85,11,938
अक्तूबर/OCT 2018	114.75	91.00	54,74,84,882	115.05	90.70	3,95,74,360
नवंबर/NOV 2018	118.40	103.45	37,16,59,148	118.30	103.00	2,69,18,616
दिसंबर/DEC 2018	119.95	102.40	27,12,06,464	119.95	102.55	2,43,32,016
जनवरी/JAN 2019	124.60	107.65	34,99,04,832	124.60	107.75	2,31,61,791
फरवरी/FEB 2019	114.00	98.50	23,13,11,102	113.95	98.60	1,56,98,505
मार्च/MAR 2019	133.10	101.60	40,13,22,107	133.10	101.85	2,28,56,383

SHAREHOLDERS' INFORMATION

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

National Stock Exchange of India Ltd., "Exchange Plaza" Bandra Kurla Complex, Bandra,(East), Mumbai - 400 051 NSE CODE : BANKBARODA	B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 BSE CODE : 532134
--	---

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) has been paid.

SHARE PRICE, VOLUME OF SHARES TRADED IN STOCK EXCHANGES AND INDEX DATA

a. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2018 to 31.03.2019) (Equity Share of the Face Value of ₹2/- each)



बी. अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक इंडेक्स डेटा (मासिक अंतिम मूल्य)

b. Index Data from April 2018 to March 2019 (Monthly Closing Values)

दिनांक Date	निफ्टी 50 NIFTY 50	निफ्टी बैंक NIFTY BANK	बीओबी एनएसई (प्रत्येक 2 रूपए के एफवी के इक्विटी शेयर) BOB NSE (Equity Share of FV of ₹2/- each)	एसएंडपी बीएसई सेन्सेक्स S&P BSE SENSEX	एसएंडपी बीएसई बैंकेक्स S&P BSE BANSEX	बीओबी बीएसई (प्रत्येक 2 रूपए के एफवी के इक्विटी शेयर) BOB BSE (Equity Share of FV of ₹2/- each)
30.04.2018	10739.35	25531.60	148.95	35160.36	28651.87	148.65
31.05.2018	10736.15	26956.20	136.85	35322.38	30007.14	137.05
29.06.2018	10714.30	26364.20	112.65	35423.48	29250.56	112.80
31.07.2018	11356.50	27764.15	153.35	37606.58	31005.96	153.45
31.08.2018	11680.50	28061.75	152.95	38645.07	31741.91	152.90
28.09.2018	10930.45	25119.85	99.50	36227.14	27992.18	99.40
31.10.2018	10386.60	25153.25	110.65	34442.05	28359.59	110.80
30.11.2018	10876.75	26862.95	105.05	36194.30	29948.98	104.70
31.12.2018	10862.55	27160.20	118.80	36068.33	30376.68	118.85
31.01.2019	10830.95	27295.45	112.45	36256.69	30731.37	112.45
28.02.2019	10792.50	26789.90	101.00	35867.44	30027.41	101.05
29.03.2019	11623.90	30426.80	128.65	38672.91	34141.94	128.80

रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट, शेयर अंतरण पद्धति तथा निवेशकों की शिकायतों का निपटान

बैंक ने कार्बी फिनटेक प्रा.लि. को अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर/बॉण्ड अंतरण, लाभांश/ब्याज भुगतान को प्रोसेस करना, शेयरधारकों के अनुरोध दर्ज करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान तथा शेयर/बॉण्ड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों/कार्यों को सुनिश्चित करना है. निवेशक अपने अंतरण विलेख/अनुरोध/ शिकायतें निम्नलिखित पते पर आरटीए को भेज सकते हैं :-

कार्बी फिनटेक प्रा.लि. (यूनिट: बैंक ऑफ बड़ौदा)

कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गचिबावली, फायनैसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद -500008

फोन:- (040) 67162222

ई मेल :- einward.ris@karvy.com

निजी रूप से रखे गए बॉण्डों के लिए बैंक ने डिबेंचर न्यासी की भी नियुक्ति की है , जिसका पता नीचे दिया गया है :-

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.

एशियन बिल्डिंग, भू -तल, 17, आर कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट

मुंबई - 400001 टेलीफोन :- (022) 40807000

ई मेल :- itsl@idbitrustee.com

बैंक ने कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में निवेशक सेवाएं विभाग की स्थापना भी की है, जिसके प्रभारी उप महाप्रबंधक स्तर के कंपनी सचिव हैं, जहां शेयरधारक अपने अनुरोधों / शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं. वे अपनी शिकायतें / अनुरोध प्रधान कार्यालय, बड़ौदा को निम्नलिखित पते पर भी भेज सकते हैं.

REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT, SHARE TRANSFER SYSTEM AND REDRESSAL OF INVESTORS' GRIEVANCES

The Bank has appointed M/s. Karvy Fintech Private Limited as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of shares / bonds, dividend / interest payments, recording of shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares / bonds. The investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at following address:

M/s. Karvy Fintech Private Limited (Unit: Bank of Baroda)
Karvy Selenium Tower B, Plot No.31 & 32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally,
Hyderabad - 500 008. Phone: (040) 67162222;
E Mail: einward.ris@karvy.com

For privately placed Bonds, the Bank has also appointed Debenture Trustee as follows:

IDBI Trusteeship Services Ltd.

Asian Building, Ground Floor, 17, R Kamani Marg, Ballard Estate
Mumbai – 400 001. Tel: (022) 40807000;
Email: itsl@idbitrustee.com

The Bank has also established Investors' Services Department, headed by the Company Secretary at Corporate Office, Mumbai wherein Shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below. They can also send their complaints/requests at the address given below at Head Office, Vadodara:



<p>बैंक ऑफ़ बड़ौदा निवेशक सेवाएं विभाग सातवीं मंजिल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 दूरभाष : (022) 6698 5733/5743 ई-मेल : investorservices@bankofbaroda.com (उपरोक्त ई-मेल विशेष रूप से सेबी सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के नियम 6(2)(डी), विनियम 2015 के आधार पर स्थापित की गई है. जो शेयरधारक निदेशक मंडल से किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं वे अपने प्रश्न निम्नलिखित मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं - shareholderdirectors@bankofbaroda.com</p>	<p>बैंक ऑफ़ बड़ौदा महाप्रबंधक, परिचालन एवं सेवाएं 7वाँ तल, बड़ौदा भवन, आर.सी.दत्त रोड, अल्कापुरी, वड़ोदरा 390 007 टेलीफोन : (0265) 2316792 ई-मेल : operations.ho@bankofbaroda.com</p>
---	---

<p>Bank of Baroda Investors' Services Department 7th Floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai – 400 051 Telephone : (022) 6698 5733/5743 E – mail : investorservices@bankofbaroda.com (The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6(2)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. Further, Shareholders who wish to ask questions to the Board of Directors of the Bank can mail their questions at – shareholderdirectors@bankofbaroda.com</p>	<p>Bank of Baroda General Manager, Operations and Services, 7th Floor, Baroda Bhavan, R C Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 Telephone : (0265) 2316792 E-mail: operations.ho@bankofbaroda.com</p>
--	--

बैंक सुनिश्चित करता है कि प्रस्तुत किए गये सभी भौतिक शेयरों के अंतरण, अनुरोध किए जाने के 15 दिन की अवधि के भीतर प्रभावी हो जाए.

The Bank ensures that transfer of all the physical shares tendered are duly effected within a period of -15- days from the date of their lodgment.

शेयरधारिता का वितरण

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

ए. 31 मार्च 2019 तक का शेयरधारिता का पैटर्न:

a. Shareholding Pattern as on 31st March 2019

क्र.सं. Sr.No.	विवरण	Description	कुल मामलों की संख्या Total Cases	कुल शेयर Total Shares	कुल मामले % Total Cases %
1	भारत सरकार	Government Of India	1	1,67,34,59,020	63.26
2	म्यूचुअल फंड	Mutual Funds	139	36,77,62,427	13.90
3	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश	Foreign Portfolio - Corp	142	25,88,92,674	9.79
4	निवासी व्यक्ति	Resident Individuals	363584	14,83,38,997	5.61
5	बीमा कम्पनियां	Insurance Companies	39	10,66,31,895	4.03
6	कॉर्पोरेट निकाय	Bodies Corporates	2159	2,91,78,427	1.10
7	ट्रस्ट	Trusts	45	2,45,63,153	0.93
8	समाशोधन सदस्य	Clearing Members	625	1,13,24,488	0.43
9	अनिवासी भारतीय	Non Resident Indians	4554	91,60,680	0.35
10	बैंक	Banks	29	47,46,523	0.18
11	अविभाजित हिन्दू परिवार (एचयूएफ)	H U F	5130	34,64,807	0.13
12	अनिवासी भारतीय-गैर प्रत्यावर्तनयोग्य	Non Resident Indian Non Repatriable	1653	34,46,212	0.13
13	कर्मचारी	Employees	2035	20,46,446	0.08
14	वैकल्पिक निवेश फंड	Alternative Investment Fund	8	16,60,296	0.06
15	भारतीय वित्तीय संस्थाएं	Indian Financial Institutions	4	5,35,855	0.02
16	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	Overseas Corporate Bodies	3	1,10,000	0.00
17	विदेशी संस्थागत निवेशक	Foreign Institutional Investors	27	1,09,275	0.00
18	एनबीएफसी	NBFC	17	82,443	0.00
19	विदेशी नागरिक	Foreign Nationals	4	2,014	0.00
20	यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया	Unit Trust Of India	1	500	0.00
	कुल	Total	380199	2,64,55,16,132	100.00



बी. शेयरधारकों का वितरण - 31 मार्च 2019 तक का श्रेणीवार

b. Distribution of Shareholders – Category Wise as on 31st March 2019

क्रम संख्या Sr. no	श्रेणी Category	मामलों की संख्या No. of Cases	मामलों का प्रतिशत % of Cases	शेयरों की संख्या No of Shares	राशि का प्रतिशत % Amount
1	1 - 5000	204799	53.87	1,21,54,947	0.46
2	5001 - 10000	49883	13.12	1,18,30,181	0.45
3	10001 - 20000	74641	19.63	3,63,18,328	1.37
4	20001 - 30000	27455	7.22	2,51,00,777	0.95
5	30001 - 40000	4323	1.14	50,93,397	0.19
6	40001 - 50000	5774	1.52	88,69,116	0.34
7	50001 - 100000	8190	2.15	1,91,87,589	0.73
8	100001 एवं उससे अधिक 100001 and above	5134	1.35	2,52,69,61,797	95.52
	कुल: / TOTAL:	380199	100.00	2,64,55,16,132	100.00

सी . प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण

बैंक के शेयर अनिवार्य रूप से सेबी की डीमेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं एवं बैंक ने नेशनल सिक्क्यूरिटी डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्क्यूरिटी लि.(सीडीएसएल) के साथ बैंक के शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए करार किया है. शेयरधारक अपने शेयर एन.एस.डी.एल अथवा सी.डी.एस.एल. के माध्यम से अभौतिकीकरण कर सकते हैं.

निम्नलिखित विवरण के अनुसार 31 मार्च 2019 तक बैंक के पास निम्नलिखित संख्या के इक्विटी शेयर भौतिक एवं अभौतिक रूप से हैं :

c. Dematerialization of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2019 the Bank has following number of Equity Shares in physical and dematerialized form, as per the detail given below:

क्र. संख्या S.no	धारिता का प्रकार	Nature of holding	मामलों की संख्या No. of Cases	शेयरों की संख्या No. of Shares	प्रतिशत Percentage %
1	सी.डी.एस.एल.	CDSL	137298	1,72,91,75,402	65.36
2	एन.एस.डी.एल.	NSDL	204285	88,66,17,603	33.51
3	भौतिक	PHYSICAL	38616	2,97,23,127	1.12
	कुल	Total:	380199	2,64,55,16,132	100.00

बैंक ने वर्ष 2003 में 1,36,91,500 शेयर जब्त किए (उप-विभाजन से पूर्व 27,38,300 शेयर) जिनमें से 24000 शेयर (उप-विभाजन से पूर्व 4800 शेयर) 31 मार्च 2019 तक रद्द कर दिये गए.

31 मार्च 2018 तक एस्करो / उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति:

ए. उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (भौतिक शेयर - बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

The Bank had forfeited 1,36,91,500 equity shares (27,38,300 shares before sub-division) in the year 2003 and out of the same 24000 equity shares (4800 shares before sub-division) were annulled up to 31st March 2019.

STATUS OF SHARES LYING IN ESCROW/SUSPENSE ACCOUNT AS ON 31st MARCH, 2019

a. Status of shares lying in Suspense A/c (Physical Shares – returned undelivered)

01.04.2018 को प्रारम्भिक शेष Opening Balance as on 01.04.2018		वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2018-19	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान नामे किए गए शेयर Shares debited during the Financial Year 2018-19		31 मार्च 2019 को उपलब्ध अंतिम शेष Closing Balance as on 31 st March 2019	
शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares
69	86000	0	0	0	69	86000

बी. एस्करो / उचंत खातें में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (डीमेट शेयर - बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

b. Status of Shares lying in Escrow / Suspense A/c (Demat Shares – returned undelivered)

01.04.2018 को प्रारम्भिक शेष Opening Balance as on 01.04.2018		वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2018-19	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जमा किए गए शेयर Shares credited during the Financial Year 2018-19		31 मार्च 2018 को उपलब्ध अंत शेष Closing Balance as on 31st March 2019	
शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares
157	93800	2	2	1110	155	92690

हम पुष्टि करते हैं कि जब तक उक्त शेयरों के वास्तविक दावेदार इनके लिए दावा नहीं करते तब तक अंतिम कॉलम (ए) तथा (बी) के शेयरों के लिए मताधिकार पर रोक जारी रहेगी.

लाभांश / ब्याज का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान:

बैंक निवेशकों को, जहाँ निवेशकों द्वारा मंडेट दिए गए हैं, शेयरों पर लाभांश / बाँडों पर ब्याज का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कर रहा है. इस उद्देश्य के लिए बैंक नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाऊस (एनएसीएच), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस), आरटीजीएस, एनईएफटी तथा सीधे जमा आदि की सेवाओं का प्रयोग कर रहा है.

निवेशक अपने मंडेट बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट अर्थात कार्बी फिनटेक शेयर प्रा. लि. के पास इस रिपोर्ट में दिए पते पर दर्ज करा सकते हैं.

सचिवालयीय लेखा परीक्षा

बैंक द्वारा 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए मे. रागिनी चोकशी एंड कंपनी को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है. यह कंपनी वार्षिक सचिवालयीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं वार्षिक सचिवालयीय अनुपालन रिपोर्ट से संबंधित कार्य करती है. वार्षिक सचिवालयीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है.

प्रकटीकरण

- 1) यहां भौतिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण पार्टी संव्यवहार नहीं होता है जिसका व्यापक स्तर पर बैंक के हितों के साथ कोई टकराव हो. इस सम्बंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन करते हुए लेखांकन संबंधी टिप्पणियों में पार्टी सम्बंधी प्रकटीकरण किया गया है.
- 2) बैंक पर पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से सम्बद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात स्टॉक एक्सचेंज और / अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया और न ही किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया गया है.
- 3) हम सेबी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस सूचीबद्ध नियमों की अनुसूची V के उपभाग (2) से (10) के अनुपालन की पुष्टि करते हैं.
- 4) सभी निदेशकों द्वारा यह घोषणा की गई है कि 31 मार्च 2019 तक उनका परस्पर किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है.
- 5) बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कॉमोडिटी में कोई व्यापार नहीं किया है, अतः "कॉमोडिटी कीमत जोखिम और कॉमोडिटी बचाव गतिविधियाँ" संबंधी सूचना शून्य है
- 6) स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम:

बैंक के स्वतंत्र निदेशकों के लाभार्थ आयोजित किए गए परिचय-कार्यक्रम का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट <https://www.bankofbaroda.com/writereaddata/Images/pdf/Details-of-Directors-Training.pdf> पर उपलब्ध है.

We confirm that the voting rights on the shares stated at the last column of table (a) and (b) above shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

DIVIDEND / INTEREST PAYMENT THROUGH ELECTRONIC MODES

The Bank is paying Dividend on Shares / Interest on Bonds to the Investors through various electronic modes, wherever mandate is given by the investors. For the purpose, the Bank is using the services of National Automated Clearing House (NACH), National Electronic Clearing Services (NECS), RTGS, NEFT and Direct Credit etc.

Investors may lodge their mandate with Bank's Registrar & Share Transfer Agent i.e. M/s. Karvy Fintech Pvt. Ltd., at the address given in this report.

Secretarial Audit

Bank has appointed M/s. Ragini Chokshi & Co. Practicing Company Secretaries for Annual Secretarial Audit Report and Annual Secretarial Compliance Report for the year ended 31.03.2019. Annual Secretarial Audit Report has been annexed herewith.

DISCLOSURES

1. There is no materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large. The Related Party Disclosure is made in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.
2. There is no non-compliance by the Bank in respect of Regulations/ Guidelines issued by SEBI / Stock Exchanges / any Statutory Authority on any matter related to capital markets during the last 3 years and as such no penalties / strictures imposed on the Bank.
3. We confirm the compliance of the requirement of Corporate Governance Report of sub-para (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations
4. All the Directors have disclosed that they have no relationship *inter-se* as on 31st March 2019.
5. The Bank has not traded in commodities during the F.Y. 2018-19 and hence the information on "Commodity price risks and commodity hedging activities" is NIL.
6. Familiarization programme for Independent Directors

The details of the Familiarization Programme conducted for the Independent Director of the Bank are available on the Bank's website at <https://www.bankofbaroda.com/writereaddata/Images/pdf/Details-of-Directors-Training.pdf>



7) व्हीसल ब्लोअर दिशानिर्देश

भारत सरकार के जनहित प्रकटीकरण एवं सूचना प्रदाता की सुरक्षा संबंधी संकल्प (पीआईडीपीआई) के आधार पर लोगों के लिए व्हीसल ब्लोअर दिशानिर्देश संबंधी विवरण बैंक की वेबसाइट <https://www.bankofbaroda.com/writereaddata/Images/pdf/whistle-blower-guidelines-for-website.pdf> पर उपलब्ध है.

इस संबंध में किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति को एक्सेस करने से मना नहीं किया गया है.

8) संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों संबंधी नीति

संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों संबंधी नीति बैंक की वेबसाइट <https://www.bankofbaroda.com/writereaddata/Images/pdf/related-party-policy.pdf> पर उपलब्ध है.

9) महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारक, प्रतिषेध व प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

7. Whistle Blower Guidelines

The details of the Bank's Whistle Blower Guidelines for the public based on Government of India Resolution on Public Interest Disclosure & Protection of Informer (PIDPI) are available on the Bank's website at <https://www.bankofbaroda.com/writereaddata/images/pdf/whistle-blower-guidelines-for-website.pdf>

No personnel has been denied access to the audit committee.

8. Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries

The details of the Bank's Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries are available on the Bank's website at <https://www.bankofbaroda.com/writereaddata/images/pdf/related-party-policy.pdf>

9. Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

वित्त वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या / Number of Complaints filed during the financial year	वित्त वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या / Number of Complaints disposed off during the year	वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या / Number of Complaints pending as on end of the financial year
7	3	4

10) संबंधित वित्तीय वर्ष अर्थात् 2018-19 के दौरान संस्था द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग, संशोधन समेत भी, यदि कोई हो, की सूची जिसमें उस संस्था के सभी नाम लिखत या सावधि जमा कार्यक्रम या निधियों के संग्रहण के लिए सूचीबद्ध संस्था की योजना या प्रस्ताव, चाहे भारत में हो या विदेश में, उनकी सूची:

10. List of all credit ratings obtained by the entity along with any revisions thereto during the relevant financial year i.e. 2018-19, for all debt instruments of such entity or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the listed entity involving mobilization of funds, whether in India or abroad

As of 31.03.2019

लिखत का स्वरूप / Type of Instrument	क्रिसिल / CRISIL	केयर / CARE	इक्रा / ICRA	इंडिया रेटिंग / INDIA Rating	ब्रिकवर्क / Brickwork	मूडी / Moody	फिच / Fitch
बासेल II अपर टियर II बॉण्ड / Basel II Upper Tier II Bonds	एएए / स्थिर / AAA / Stable	एए+ / स्थिर / AA+ / Stable			एएए / स्थिर / AAA / Stable		
बासेल II आईपीडीआई बॉण्ड / Basel II IPDI Bonds	एएए / स्थिर / AAA / Stable	एए+ / स्थिर / AA+ / Stable					
बासेल III टियर II बॉण्ड / Basel III Tier II Bonds	एएए / स्थिर / AAA / Stable	एएए / स्थिर* / AAA / Stable*	एएए / AAA	एएए / स्थिर* / AAA / Stable*			
बासेल III एटी-1 बॉण्ड / Basel III AT-I Bonds	एए+ / स्थिर / AA+ / Stable	एए / स्थिर / AA / Stable		एए+ / स्थिर / AA+ / Stable			
जमा प्रमाणपत्र / Certificate of Deposit				ए1+* / A1+*			
बैंक ऑफ बड़ौदा व बैंक ऑफ बड़ौदा (लंदन) नामे लिखत के प्रतिपक्षी जोखिम मूल्यांकन / Counterparty Risk Assessment of Bank of Baroda and Bank of Baroda (London) - debt instruments						बीएए2(सीआर)/ पी-2(सीआर) / Baa2(cr)/P-2(cr)	
व्यवहार्यता रेटिंग- नामे लिखत / Viability Rating - debt instruments							बीबी / bb
बैंक ऑफ बड़ौदा व बैंक ऑफ बड़ौदा (लंदन) सावधि जमा कार्यक्रम के प्रतिपक्षी जोखिम मूल्यांकन / Counterparty Risk Assessment of Bank of Baroda and Bank of Baroda (London) - fixed deposit programme						बीएए2(सीआर)/ पी-2(सीआर) / Baa2(cr)/P-2(cr)	
व्यवहार्यता रेटिंग- सावधि जमा कार्यक्रम / Viability Rating - fixed deposit programme							बीबी / bb

*वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त नई रेटिंग

* Fresh rating obtained during the FY 2018-19

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रेटिंग में संशोधन:

दिनांक 12 जून 2018 को मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ बड़ौदा (लंदन) के काउंटरपार्टी रिस्क एसेसमेंट को बीएए3(सीआर)/ पी-3(सीआर) से बीएए2(सीआर)/ पी-2(सीआर) में अपग्रेड किया. दिनांक 13 जून 2018 को फिच रेटिंग्स ने बैंक ऑफ बड़ौदा की व्यवहार्यता रेटिंग को बीबी+से बीबी में डाउनग्रेड किया. दिनांक 26 सितंबर 2018 को फिच रेटिंग्स ने बैंक ऑफ बड़ौदा की वायबिलिटी रेटिंग बीबी को रेटिंग वॉच निगेटिव कर दिया.

11) इसका पुष्टिकरण कि निदेशक मंडल की राय में स्वतंत्र निदेशक इन

Revision in rating during F. Y. 2018-19:

Moody's Investor Service on 12th June 2018 upgraded the Counterparty Risk Assessment of Bank of Baroda and Bank of Baroda (London) from Baa3(cr)/P-3(cr) to Baa2(cr)/P-2(cr). Fitch Ratings on 13th June 2018 downgraded the Viability Rating of Bank of Baroda from bb+ to bb. Fitch Ratings on 26th September 2018 placed the Viability Rating of Bank of Baroda of bb on Rating Watch Negative.

- विनियमों में दी गई शर्तों का पूरा पालन करते हैं और प्रबंध तंत्र पर निर्भर नहीं हैं- हां
- 12) जहां वित्तीय वर्ष 2018-19 में निदेशक मंडल द्वारा अस्वीकृत, अनिवार्य रूप से अपेक्षित निदेशक मंडल की किसी समिति की सिफारिश - शून्य
 - 13) विनियम 32 (7ए) के अधीन निर्दिष्ट अधिमान्य आबंटन या अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट के जरिए निधियों के उपयोग के ब्यौरे- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ऐसा कुछ अधिमान्य आबंटन अथवा अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट नहीं किया गया है.
 - 14) सूचीबद्ध संस्था व उसकी अनुषंगियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षकों और उन सभी नेटवर्क संस्थाओं जिसमें लेखा परीक्षक एक भाग है, सभी सेवाओं के लिए प्रदत्त कुल फीस रु 49.32 करोड.
 - 15) कंपनी सचिव से प्रायः इस आशय का प्रमाण पत्र कि निदेशक मण्डल के किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक / कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसी किसी वैधानिक स्वायत्तता द्वारा नियुक्त अथवा जारी रखे जाने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है. - प्रमाण पत्र प्राप्त किया - कोई भी निदेशक बैंकमें नियुक्ति जारी रखे जाने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है.
11. Confirmation that in the opinion of the board, the independent directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the management. - Yes
 12. Where the board had not accepted any recommendation of any committee of the board which is mandatorily required, in the FY2018-19 – NIL
 13. Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A) – No preferential allotment or qualified institutions placement during FY2018-19
 14. Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part. - Rs. 49.32 crores
 15. A certificate from a Company Secretary in practice that none of the directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority - Certificate obtained - None of the director is debarred or disqualified from being appointed as Director in the Bank.

गैर-अनिवार्य अपेक्षाएँ

बैंक द्वारा सेबी (सूचीयन करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के तहत उपलब्ध कराई गई सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है.

गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन का विवरण निम्नानुसार हैं-

NON-MANDATORY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

क्र. स. Sr. No.	गैर- अनिवार्य आवश्यकताएँ Non-mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation
1	<p>बोर्ड सूचीबद्ध कम्पनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यभार सम्भालने के लिए गैर कार्यपालक अध्यक्ष अधिकृत किए जा सकते हैं और उनकी ड्यूटी संबंधी खर्च की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है.</p> <p>The Board A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.</p>	<p>अनुपालन किया गया. भारत सरकार ने श्री हसमुख अडिया की नियुक्ति बोर्ड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में दिनांक 01.03.2019 से की है. भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया.</p> <p>Complied with. The Government of India has appointed Dr. Has Mukh Adhia as Non-Executive Chairman of the Board w.e.f. 01.03.2019. The guidelines issued by GOI are complied with.</p>
2	<p>लेखापरीक्षा अहर्ता कम्पनी को अयोग्य वित्तीय विवरणों की व्यवस्था को अपनाना चाहिए. Audit Qualifications Company may move towards a regime of unqualified financial statements.</p>	<p>बैंक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस संबंध में कोई अहर्ता नहीं है. There is no qualification in Auditors report of the Bank.</p>
3	<p>अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलग - अलग पद सूचीबद्ध कम्पनी अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पदों पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है. Separate posts of chairperson and chief executive officer The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.</p>	<p>अनुपालन किया गया. बैंक के निदेशक मंडल की संरचना बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के माध्यम से नियंत्रित की जाती है. भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.03.2019 से श्री हसमुख अडिया, बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष तथा दिनांक 13.10.2015 से श्री पी.एस. जयकुमार को प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पूर्णकालिक निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है.</p> <p>Complied with. The composition of the Board of Directors of the Bank is governed through "Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. The Government of India has appointed Dr. Has Mukh Adhia as Non-Executive Chairman of the Board w.e.f.01.03.2019 and Shri P.S. Jayakumar as MD & CEO (Whole-time Director) w.e.f. 13.10.2015.</p>



4	<p>आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं . Reporting of Internal Auditor The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.</p>	<p>बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना एवं इसकी संदर्भ शर्तें सदैव विनियमकों अर्थात् रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए निर्देशों एवं परिपत्रों के माध्यम से नियमित की जाती है , जिनका बैंक अनुपालन करता है. The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board inter-alia covering Internal Audit function is governed through the guidelines / circulars issued by the Regulator i.e. Reserve Bank of India, which the Bank complies with.</p>
---	---	--

कार्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रकटीकरण:

Disclosure of the compliance with Corporate Governance requirements

नियम क्र. Regu No.	संक्षिप्त विवरण Title / Brief description	अनुपालन स्थिति Compliance Status
17	<p>निदेशक मंडल Board of Directors</p>	<p>बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल का गठन और इसकी संदर्भ शर्तें बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के अधीन है. यहाँ कम्पनी एक्ट 1956/2013 में किया गया संशोधन इस सम्बंध में लागू नहीं होता है. अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अनुसरण में केन्द्र सरकार से भिन्न शेरधारकों द्वारा निर्वाचित तीन निदेशकों के अतिरिक्त सभी निदेशकों की नियुक्ति / नामांकन, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9(3)के अधीन केंद्र सरकार के मुताबिक किया जाता है. बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है. बोर्ड का अधिकांश समय व्यवसाय की रणनीति और निष्पादन, अनुपालन, गवर्नेंस एवं बैंक के प्रोफाइल पर चर्चा करने में व्यतीत होता है. यह सुनिश्चित किया जाता है की बोर्ड की कार्यप्रणाली पारदर्शी एवं स्वतंत्र रहे. बोर्ड का मूल्यांकन बोर्ड के गवर्नेंस को लगातार बेहतर बनाने के उद्देश्य से बोर्ड के कार्यनिष्पादन, इसकी समितियों तथा स्वतंत्र निदेशकों सहित व्यक्तिगत निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन बाह्य कंसल्टिंग एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है. मूल्यांकन के विस्तृत मानदण्डों को सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम अधिनियम, 2015 के प्रावधानों और दिनांक 5 जनवरी 2017 के बोर्ड के मूल्यांकन पर सेबी द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुस्र निर्धारित किया गया है. The Composition & terms of reference of Board of Directors of Bank of Baroda is governed through "Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970" i.e. the Act, meaning thereby the provision of the Companies Act, 1956/2013 in this regard are Not Applicable. All the Directors, except 3 directors elected amongst the Shareholders' other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, are appointed / Nominated by Government of India pursuant to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India. Major time of the Board discussions is spent on business strategy and execution, compliance, governance and profile of the Bank. Transparency and independence in functioning of the Board is ensured. Board Evaluation With the objective to continuously improve Board governance, an evaluation of the Board's performance; performance of its committees and individual directors including independent directors is being conducted by an external consulting firm. The parameters of evaluation have been aligned with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and new SEBI Guidance Note on Board Evaluation dated January 5, 2017.</p>
18	<p>लेखा समिति Audit Committee</p>	<p>बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के गठन एवं इसके संदर्भ की शर्तें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अधिशासित होती है, जिनका अनुपालन किया गया है. The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board of Bank of Baroda is governed through RBI's directives / guidelines, which are complied with.</p>
19	<p>नामांकन एवं पारितोषिक समिति Nomination and remuneration committee</p>	<p>बैंक में दो अलग-अलग समितियाँ, नामांकन समिति एवं पारिश्रमिक समिति है, जिनकी संरचना एवं संदर्भ शर्तें क्रमशः भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार अधिशासित होती है. The Bank has 2 separate committees namely Nomination Committee and Remuneration Committee, the composition and terms of reference of which are governed through RBI / GOI directives respectively.</p>

नियम क्र. Regu No.	संक्षिप्त विवरण Title / Brief description	अनुपालन स्थिति Compliance Status
20	हितधारक सम्बंध समिति Stakeholders Relationship Committee	अनुपालन किया गया है. Complied with
21	जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	अनुपालन किया गया है. Complied with
22	सतर्कता प्रणाली Vigil Mechanism	अनुपालन किया गया है. Complied with
23	संबंधित पार्टी लेनदेन Related party transactions	अनुपालन किया गया है. Complied with
24	सूचीबद्ध इकाइयों की अनुषंगियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता Corporate governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	अनुपालन किया गया है. Complied with
25	स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में दायित्व Obligations with respect to independent directors	विनियम 17 के अनुसार- यथा उपर्युक्त As per Regulation 17, as above.
26	निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन के संबंध में दायित्व Obligations with respect to directors and senior management	अनुपालन किया गया है. Complied with
27	अन्य कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताएं Other corporate governance requirements	अनुपालन किया गया है. Complied with
46	वेबसाइट Website	अनुपालन किया गया है. Complied with

भौतिक शेयरों को अभौतिकृत करना- एक विशेष अनुरोध:

सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के जरिए यह निर्णय लिया है कि संप्रेषण या पुनर्व्यवस्थापन के मामले छोड़कर प्रतिभूतियों के अंतरण करने के लिए अनुरोध तब तक स्वीकृत नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे किसी डिपॉजिटरी के साथ उन्हें डिमैट स्तर में धारित न हों जोकि 01.04.2019 से प्रभावी होगा. अतः हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे तुरंत अपने भौतिक शेयरों को डिमैट करवा लें.

डिमैट करवाने के लिए शेयरधारक अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क करें जहां उनका डिमैट खाता है. डिमैट करवाने के निम्न लाभ हैं. 1) बाधारहित अंतरण 2) शेयर प्रमाणपत्र के खोने का कोई भय नहीं 3) लाभांश/कंपनी से

DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account. Benefits of dematerialization are as follows:
i) Hassle free transfer ii) No threat of loss of share certificate



प्राप्त लाभ का सीधे और तत्काल खाते में जमा हो जाना 4) नामांकन सुविधा 5) एसबीए/आईपीओ आदि के माध्यम से सीधा आवेदन.

भौतिक/डिमेंट के रूप में धारित शेयर के शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल आईडी दर्ज नहीं करवाया है उनसे अनुरोध है कि वे, भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण पहल (गो ग्रीन) के समर्थन में अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी/बैंक के आरटीए में अपना ईमेल आईडी दर्ज करवाएं.

पारदर्शिता एवं अनुपालन अधिकारी

साथ ही, निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यकलाप भी बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रणाली के तहत अधिक से अधिक प्रकटीकरण के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

पारदर्शिता अधिकारी

केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के दिशानिर्देशों के अनुपालन स्वस्र फरवरी 2011 से बैंक ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है.

पारदर्शिता अधिकारी निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए उत्तरदाई है:

- सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) की धारा 4, जो सार्वजनिक प्राधिकारणों के दायित्व से संबंधित है, के क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा इसकी प्रगति से उच्च प्रबंधन को अवगत कराना.
- सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में सीआईसी के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करना.
- केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), मानद सीपीआईओ द्वारा आरटीआई अनुरोधों पर सकारात्मक एवं समयबद्ध कार्रवाई के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने में मदद करना.
- आरटीआई संबंधित सभी विषयों के लिए आम जन के लिए संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करना.

बैंक ने इस अधिनियम में के निर्देशानुसार अपनी वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित सूचना अपलोड किया है जिसे समय समय पर अद्यतन किया जाता है.

अनुपालन संबंधी कार्य

बैंक में अनुपालन संबंधी कार्य, कार्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य है. बैंक में इस कार्य को पर्याप्त रूप से सुचारु बनाया गया है और इसे स्वतंत्रता दी गई है. निदेशक मंडल, बैंक के अनुपालन जोखिम के प्रबंधन पर निगरानी रखता है. बैंक ने अनुपालन संबंधी कार्यों को स्पष्ट करते हुए अनुपालन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित करवाकर एक प्रभावी और सक्रिय अनुपालन प्रणाली लागू किया है.

अनुपालन कार्य, विभिन्न अधिनियमों अर्थात् बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम तथा धनशोधन निवारक अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर जारी अन्य नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. विदेशों में जहां पर बैंक के कार्यालय/शाखाएं स्थित हैं वहां पर भी बैंक वहां के विभिन्न नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड का सदस्य है और बीसीएसबीआई द्वारा निर्धारित मानकों और संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करता है. साथ ही बैंक आईबीए (भारतीय बैंक संघ), फेडआई (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ) तथा फिमडा (भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है.

iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits iv) Nomination facility v) Direct application through ASBA/IPO, etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-mail ID with RTA of Bank / their respective Depository Participant to support GOI's green initiatives.

TRANSPARENCY & COMPLIANCE OFFICER

Further, the following additional functions also enhance the Bank's commitment to more and more disclosures and compliance under the Corporate Governance mechanism of the Bank.

Transparency Officer

In Compliance with the directions of Central Information Commissioner (CIC), the Bank has appointed one of the Senior Officers as Transparency Officer, since February 2011.

The transparency officer is responsible for the following functions:

- To oversee the implementation of Section 4 of Right to Information (RTI) Act detailing with obligations of public authorities and to apprise the top management of its progress.
- To be the interface for the Central Information Commissioner (CIC) regarding the progress in implementation of the RTI Act.
- To help promote congenial conditions for positive and timely response to RTI requests by Central Public Information Officers (CPIS), deemed CPIOs.
- To be a contact point for the public in all RTI- related matters.

The Bank has uploaded all the required information as required by the Act in the specified format/s on Bank's website and information is updated from time to time.

Compliance Function

Compliance function in the Bank is one of the key elements in its corporate governance structure. The compliance function in the Bank is adequately enabled and made sufficiently independent. The Board of Directors of the Bank oversees the management of the Bank's compliance risk. The Bank has put in place a robust compliance system including a well-documented and Board approved Compliance Policy outlining the Compliance philosophy of the Bank.

The Compliance Function ensures strict observance of all statutory provisions contained in various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Securities and Exchange Board of India Act and Prevention of Money Laundering Act etc. as well as ensures observance of other regulatory guidelines issued from time to time. Bank also ensures adherence to regulations of various Regulatory Authorities where the Bank is having its Offices/ Branches at overseas Centers. The bank is a member of Banking Codes and Standard Board of India and ensures compliance of Standards and Codes prescribed by BCSBI. It also ensures adherence of various guidelines/instructions issued by IBA (Indian Banks Association), FEDAI (Foreign Exchange Dealers Association of India), FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India).

अनुबंध 1

ANNEXURE 1

निदेशक मण्डल का गठन

डॉ. हसमुख अडिया - अध्यक्ष (गैर कार्यपालक)

(जन्म तिथि: 3 नवंबर, 1958)

डॉ. हसमुख अडिया को भारत सरकार ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत गैर कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में दिनांक 01.03.2019 से 3 वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया है।

डॉ. हसमुख अडिया भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जो भारत सरकार के केन्द्रीय वित्त सचिव एवं राजस्व सचिव के रूप में 30.11.2018 को सेवानिवृत्त हुए। वे गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं। वे इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेंगलुरु के बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्य भी हैं।

आपने एकाउंटैंसी में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेंगलुरु से स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और साथ ही स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, बेंगलुरु से योग में पीएचडी की उपाधी भी प्राप्त की है।

वित्त सचिव बनने से पहले वे नवंबर, 2014 से अगस्त, 2015 के दौरान भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव थे। सचिव, वित्तीय सेवाएं के रूप में इन्हें कई नए कार्यनीतियां लागू करने का श्रेय प्राप्त है जैसे कि बैंकिंग सुधार के लिए ज्ञान संगम व इंद्रधनुष कार्यक्रम और साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाएं- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना और लघु ऋण के लिए मुद्रा योजना।

वित्त/राजस्व सचिव के रूप में उन्हें, आयकर, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में कर अनुकूल पहल करने का श्रेय प्राप्त है। साथ ही उन्होंने विधिवत जीएसटी लागू करने का कार्य संचालन भी किया जिससे जीएसटी सुचारु रूप से लागू हो सकी। उन्हें, कालाधन के खिलाफ निरंतर प्रयासरत रहने के लिए भी जाना जाता है।

वित्त मंत्रालय में तैनाती से पहले उन्होंने कई अन्य पद संभाले जैसे कि गुजरात के मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव (2003-06), प्रधान सचिव (शिक्षा), गुजरात (2008-13), अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) गुजरात (2013-14), उद्योग आयुक्त, गुजरात (2001-02), गुजरात औद्योगिक निवेश निगम और गुजरात औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक।

श्री पी एस जयकुमार - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (कार्यपालक)

(जन्मतिथि - 8 अप्रैल 1962)

श्री पी. एस. जयकुमार की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर 13.10.2015 से 3 वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए के गई है। श्री पी.एस. जयकुमार के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यकाल को भारत सरकार ने दिनांक 12.10.2019 या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया है।

वे शैक्षिक योग्यता में सनदी लेखाकार हैं, साथ ही उन्होंने एक्सएलआरआई जमशेदपुर से बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स एण्ड पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से चेंबेनिंग गुस्कुल स्कॉलर होने का सम्मान भी प्राप्त है।

अक्टूबर, 2015 में बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक

COMPOSITION OF THE BOARD

Dr. Hasmukh Adhia - Chairman (Non-Executive)

(DoB: 3rd November, 1958)

Dr. Hasmukh Adhia was appointed as Non-Executive Chairman by the Central Government u/s 9(3)(h) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 01.03.2019, for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

Dr. Hasmukh Adhia, an officer of Indian Administrative Service, retired on 30.11.2018 as Union Finance Secretary & Revenue Secretary in Government of India. He is also the Chancellor of Central University of Gujarat. He also serves as a member of Board of Governors of Indian Institute of Management, Bangaluru.

Dr. Hasmukh Adhia has Post-Graduate degree in Accountancy. He is a Gold medalist from Indian Institute of Management, Bangalore and holds a Ph.D. in Yoga from Swami Vivekanand Yoga University, Bangalore.

Prior to his posting as Finance Secretary, he was Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India for the period from November, 2014 till August, 2015. As Secretary, Financial Services, he was credited with many new strategies for banking reforms such as Gyan Sangam and Indradhanush as well as social security schemes of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna, Jivan Jyoti Bima Yojna and Atal Pension Yojna, as also for the scheme of micro-financing of Mudra.

As Finance/Revenue Secretary, he was credited with bringing in many tax-friendly initiatives in the Income-Tax as well as Excise Duty and Service Tax. Also he pursued the agenda of GST systematically as a result of which GST was implemented smoothly. He is also known for his relentless drive against the black money.

Prior to posting in the Ministry of Finance, some of the other positions held by him include Principal Secretary to Chief Minister of Gujarat (2003-06), Principal Secretary (Education), Gujarat (2008-13), Additional Chief Secretary (Finance), Gujarat (2013-14), Industries Commissioner, Gujarat (2001-02), Managing Director of Gujarat Industrial Investment Corporation and Gujarat Industrial Development Corporation.

Shri P. S. Jayakumar - Managing Director & CEO (Executive)

(DoB: 8th April, 1962)

Shri P. S. Jayakumar was appointed as Whole Time Director designated as Managing Director & CEO by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 13.10.2015 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier. Tenure of Shri P. S. Jayakumar as MD & CEO has been further extended by GOI upto 12.10.2019, or until further orders whichever is earlier.

He is a Chartered Accountant by qualification and additionally holds a Post Graduate Diploma in Business Management from XLRI Jamshedpur. He also has the distinction of being a Chevening Gurukool Scholar through the London School of Economics and Political Science.

Prior to his appointment as MD & CEO of Bank of Baroda in



अधिकारी का पदभार ग्रहण करने से पहले आप वीबीएचसी वैल्यू बजट हाउसिंग (वीबीएचसी), जो 2009 से 2015 तक अल्प एवं मध्यम आय वर्ग के लिए हाउसिंग में अग्रणी रहा है, के सह संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे. आप राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा नियंत्रित हाउसिंग फायनांस संस्था होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी (एचएफएफसी) के सह-संस्थापक तथा गैर कार्यपालक प्रवर्तक निदेशक भी थे, यह कंपनी बैंकिंग क्षेत्र से बंधक द्वारा ऋण लेने में असमर्थ रहे ग्राहकों का वित्तपोषण करने पर विशेष ध्यान देती है. आप एक पेशेवर बैंकर हैं और आपने 1986 में कैरियर शुरू करने के बाद भारत और सिंगापुर में सिटी बैंक में 23 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया है. आपने भारत में रिटेल बैंकिंग के क्षेत्र में अनेक नवोन्मेषी कार्यों की शुरुआत में योगदान दिया है. इसके अतिरिक्त आप 1991 में भारत में प्रथम आस्ति प्रतिभूतिकरण तथा 2006 में वित्तीय समावेशन से वंचित वर्ग के लिए प्रथम बहु-भाषी बायोमैट्रिक एटीएम स्थापित करने संबंधी प्रयासों से जुड़े रहे हैं. सिटी बैंक में उन्होंने ट्रेज़रर-उपभोक्ता बैंक, जमा एवं अग्रिम व्यवसाय को समावेश करते हुए व्यवसाय विकास प्रमुख, सिटी फायनेंशियल लि. के प्रबंध निदेशक, एशिया पेसिफिक देशों (इंडोनेशिया, फिलिपिंस, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग एवं कोरिया) के लिए सिटी बैंक उपभोक्ता ऋण प्रमुख, प्रमुख- सिटी बैंक उपभोक्ता व्यवसाय तथा तुलनपत्र प्रबंधन प्रमुख-एशिया पेसिफिक जैसे विविध कार्यकलापों को संभाला. उन्होंने भारत में सिटी बैंक की कई अनुषंगियों में निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में भी सेवाएं दी हैं.

श्रीमती पापिया सेनगुप्ता - कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि : 27 सितंबर, 1959)

श्रीमती सेनगुप्ता की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के पद पर) के रूप में 01.01.2017 से अपनी अधिवर्षिता पूरी करने की तारीख अर्थात् 30.09.2019 तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक के लिए की गई है.

आपको विज्ञान में स्नातक के साथ-साथ सीएफए और सीएआईआईबी की अतिरिक्त योग्यता भी प्राप्त हैं. आपने 1983 में एसबीबीजे में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया और एसबीबीजे, एसबीआई और एसबीपी के विभिन्न कार्यालयों में जिम्मेदारियों का निर्वहण किया है. हमारे बैंक में ज्वाइन करने से पहले, आपने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला(एसबीपी) में अप्रैल 2016 तक मुख्य महाप्रबंधक (रिटेल बैंकिंग) और जून 2015 तक मुख्य महाप्रबंधक (दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह) का पदभार संभाला. आपने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर(एसबीबीजे) के दिल्ली नेटवर्क में महाप्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है. आपने कार्यकाल के दौरान आपने विभिन्न संगठनों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों जैसे आईटी सुरक्षा, एएलएम, एचआर, ट्रेज़री प्रबंधन आदि में कार्य किया है. आपने दो दशकों से अधिक समय तक शाखा परिचालन का कार्यभार संभाला है एवं आपको क्रेडिट तथा विदेशी मुद्रा परिचालन में भी व्यापक अनुभव है.

श्री शांति लाल जैन - कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि : 01 जनवरी, 1965)

श्री शांति लाल जैन की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के पद पर) के रूप में 20.09.2018 से अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक के लिए की गई है.

श्री शांति लाल जैन वाणिज्य में स्नातकोत्तर होने के साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव और सीएआईआईबी की व्यवसायिक योग्यता प्राप्त हैं. इलाहाबाद बैंक ज्वाइन करने से पूर्व, आपने लगभग 6 वर्ष विभिन्न उद्योगों में कार्य किया है. आपने इलाहाबाद बैंक में 1993 में मध्यम प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान-II में ज्वाइन किया और महाप्रबंधक पद तक पहुंचे. आपने शाखाओं, अंचल कार्यालय, फील्ड महाप्रबंधक कार्यालय, स्टाफ महाविद्यालय और प्रधान कार्यालय में कार्य किया है. आपने इलाहाबाद बैंक में अंचल प्रबंधक, आगरा अंचल के रूप में भी कार्य किया है और साथ ही बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी

October 2015, he was the co-founder and CEO of VBHC Value Homes Pvt Ltd, a leader in housing for low and moderate income household from 2009 to 2015. He was also the co-founder and Non-Executive Promoter Director for Home First Finance Company (HFFC), a housing finance institution regulated by the NHB, focused on financing customers who are not able to access mortgage loans from the banking sector. Shri Jayakumar is a career banker having spent over 23 years in Citibank in India and Singapore starting in 1986. He has contributed to several innovations in retail banking in India. In addition, he was associated with the first asset securitisation in India in 1991 and the first multi-lingual biometric ATM for the financially excluded in 2006. He held diverse assignments at Citibank such as Treasurer - Consumer Bank, Business Development Head covering deposit and lending business, Managing Director for CitiFinancial Ltd, Managing Director and Head of Citibank Consumer Loan for Asia Pacific Countries (covering Indonesia, Philippines, Australia, Hong Kong and Korea), Country Head - Citibank Consumer Business and Head of Balance Sheet Management - Asia Pacific. He has also served as a Board Member in many of Citibank's subsidiaries in India.

Smt. Papia Sengupta - Executive Director

(DoB: 27th September, 1959)

Smt. Sengupta was appointed as Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 01.01.2017 by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period upto 30.09.2019 i.e. the date of her attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier

She is a Science Graduate, with additional qualification of CFA and CAIIB. She joined SBBJ in 1983 as Probationary Officer and has handled responsibilities in several offices of SBBJ, SBI and SBP. Prior to joining Bank of Baroda, she held the position of Chief General Manager (Retail Banking) since April 2016 and Chief General Manager (Stressed Assets Management Group) since June 2015 at State Bank of Patiala (SBP). She also served as General Manager of the Delhi network at State Bank of Bikaner and Jaipur (SBBJ). During her tenure at the various organisations she had worked across various key areas such as IT Security, ALM, HR, Treasury Management etc. She also has handled branch operations for more than two decades and has experience in Credit and Forex operations.

Shri Shanti Lal Jain – Executive Director

(DoB: 1st January, 1965)

Shri Jain was appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 20.09.2018 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Shanti Lal Jain is a Post Graduate in Commerce, with Professional Qualification of Chartered Accountant, Company Secretary and CAIIB. Prior to joining Allahabad Bank, he worked in various Industries for about 6 years. He joined Allahabad Bank in 1993 in Middle Management Grade/Scale-II and reached upto General Manager. He worked in Branches, Zonal Office, Field General Manager Office, Staff College and Head Office. He also

और महाप्रबंधक- आईटी का दायित्व भी संभाला है।

हमारे बैंक में ज्वाइन करने से पूर्व, पिछले एक वर्ष से आप मुंबई में फील्ड महाप्रबंधक (पश्चिम) के पद पर कार्यरत थे और इलाहाबाद बैंक के महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा परिचालन की जिम्मेदारी संभाले हुए थे।

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची - कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि : 24 जुलाई, 1962)

श्री खीची की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के पद पर) के स्तर में 01.10.2018 को अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक के लिए की गई है।

श्री वी.एस.खीची ने एमबीए (वित्त एवं मार्केटिंग) किया है, साथ ही उन्होंने सीएआईआईबी और जीवन बीमा में एसोसियेट की व्यावसायिक योग्यता भी हासिल की है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आने के पूर्व वे देना बैंक में क्षेत्रीय महाप्रबंधक (गुजरात परिचालन) के पद पर कार्यरत थे। देना बैंक में उन्होंने दिसम्बर 1985 में प्रोबेशनरी अधिकारी के स्तर में ज्वाइन किया। विभिन्न जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए वे महाप्रबंधक पद तक पदोन्नत हुए और मई 2015 में देना बैंक के फील्ड महाप्रबंधक (गुजरात परिचालन) का प्रभार ग्रहण किया।

प्रोबेशनरी अधिकारी से शुरूकर महाप्रबंधक के स्तर में विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में अपनी 33 वर्षों की सेवा के दौरान उन्हें बैंकिंग परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है। शाखा परिचालन के साथ-साथ नियंत्रक कार्यालय स्तर से आयोजना एवं नीति निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी उनका अहम योगदान रहा है।

उन्हें बैंक के रिटेल बैंकिंग, मार्केटिंग (नई पहल और उत्पाद विकास), मर्चेन्ट बैंकिंग, वसूली प्रबंधन, विदेशी कारोबार जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्य करने का गहन अनुभव है।

श्री खीची ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, गुजरात के संयोजक के स्तर में राज्य सरकार के वरिष्ठ प्राधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक सहित सभी बैंकों, बीमा कंपनियों एवं विभिन्न संगठनों के उच्चाधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल के साथ गुजरात में सरकार की वित्तीय समावेशन संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों को पूरा करने में अपना भरपूर योगदान दिया है।

श्री देबाशीष पांडा -निदेशक (गैर-कार्यपालक)- केंद्र सरकार के प्रतिनिधि

(जन्मतिथि : 05 जनवरी, 1962)

श्री देबाशीष पांडा भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के तहत निदेशक के स्तर में 05.04.2018 से अगले आदेश तक के लिए नियुक्त किए गए हैं।

आप भौतिक विज्ञान और विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर हैं और पर्यावरण विज्ञान में एम.फिल की उपाधि प्राप्त हैं। आपने यूएसए और फिलिपिंस में लोक प्रशासन में विदेशी प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

श्री पांडा 1987 बैच के यूपी संवर्ग के आईएएस अधिकारी हैं और मूलतः ओडिशा राज्य से आते हैं। उन्होंने 23 मार्च 2018 को वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) में कार्य ग्रहण किया। वित्तीय सेवाएं विभाग में अतिरिक्त सचिव के स्तर में कार्य ग्रहण करने से पहले वे दिल्ली में उत्तर प्रदेश के निवासी आयुक्त के साथ-साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का दोहरा प्रभार संभाल रहे थे। वे उत्तर प्रदेश सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे जैसे कि देवरिया, टिहरी, उत्तरकाशी और गाजियाबाद जिलों के जिलाधिकारी और प्रधान सचिव (गृह एवं सामान्य प्रशासन)। उन्होंने भारत सरकार में भी संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उप निदेशक (प्रशासन) के स्तर में भी सेवा दी है।

worked as Zonal Manager, Agra Zone in Allahabad Bank. He also worked as Chief Financial Officer, Chief Risk Officer and General Manager-IT of the Allahabad Bank.

Prior to joining our Bank, since last one year he held the position of Field General Manager (West) at Mumbai and responsible for Maharashtra, Gujarat and Goa Operations of Allahabad Bank.

Shri Vikramaditya Singh Khichi – Executive Director

(DoB: 24th July, 1962)

Shri Khichi was appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 01.10.2018 by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years with effect from the date of assumption of office on 1st October, 2018, or until further orders, whichever is earlier.

Shri V. S. Khichi is an MBA (Finance and Marketing), with Professional Qualifications of CAIIB and Associate in Life Insurance. Prior to joining Bank of Baroda, he was working as Field General Manager (Gujarat Operations) in Dena Bank. He Joined Dena Bank as Probationary Officer in December' 1985, gradually climbed up the ladder and got promoted as Field General Manager (Gujarat Operations) in May'2015 in Dena Bank.

Inculcated blend of operational experience at field level and of planning/policy formulation at Controlling Office during the tenure of 33 years in Dena Bank by serving in varying capacities from being Probationary Officer to General Manager in various Branches & Departments.

Acquired enriching experience across the breadth of various key departments such as Retail Banking, Marketing (New Initiative & Product Development), Merchant Banking, Recovery Management, Overseas Business Center etc.

Groomed leadership quality while discharging duty as Convenor of State Level Bankers' Committee, Gujarat and collaborated efforts with senior State Govt. officials, top executives from RBI and various Banks, Insurances Co. & different organisations in executing numerous Financial Inclusion initiatives of the Govt. in Gujarat State.

Shri Debasish Panda - Director (Non-Executive) - Representing Central Government

(DoB: 5th January 1962)

Shri Debasish Panda was nominated as a Director w.e.f. 05.04.2018 by The Central Government u/s 9 (3) (b) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders.

He is a Post Graduate in Physics, Development Management and obtained M.Phil degree in Environmental Science. He has undergone foreign training in Public Administration from USA & Philippines.

Shri Panda is an IAS officer of 1987 batch of UP Cadre and belongs to the State of Odisha. He joined the Department of Financial Service (DFS) on 23rd March, 2018. Before joining as Additional Secretary in the DFS, he was holding the dual charge of Resident Commissioner of UP in Delhi as well as Chief Executive Officer, Greater Noida Development Authority. He held several key posts in the Government of UP, viz. as District Magistrate of Deoria, Tehri, Uttarakashi & Ghaziabad Districts and Principal Secretary (Home & General Admn.). He also served the Government of India in the capacity of Joint Secretary



श्री अजय कुमार - निदेशक (गैर कार्यपालक) भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि
(जन्मतिथि : 20 मई 1969)

श्री अजय कुमार की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के तहत नामित निदेशक के रूप में 13.01.2017 से अगले आदेश तक के लिए की गई है।

आपने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और बैंकिंग में एमएस की डिग्री प्राप्त की है। वे भारतीय बैंकिंग संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट सदस्य (सीएआईआईबी) भी हैं।

आपने भारतीय रिजर्व बैंक में 1991 में सेवा ग्रहण की और आपके पास मुद्रा प्रबंधन, ग्रामीण ऋण एवं आयोजना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर कार्य करने का 27 वर्षों का व्यापक अनुभव है। आपने एचडीएफसी बैंक तथा कोटक महिन्द्रा बैंक के वरिष्ठ पर्यवेक्षण प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है। आप इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक तथा यूको बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के लिए प्रिंसिपल निरीक्षणकर्ता अधिकारी (पीआईओ) भी थे और आपने अपने नेतृत्व में यूको बैंक की व्यापक आस्ति गुणवत्ता समीक्षा भी की थी। आपको भारत में विदेशी बैंकों के व्यवहार की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन के क्षेत्र में, बैंकों हेतु जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति स्मरेखा को प्रगणित करने का कार्य भी आपके संचालन के अधीन हुआ है। पूर्व में ग्रामीण क्रेडिट और आयोजना में अपने कार्यकाल के दौरान आप चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नामित निदेशक के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। वर्तमान में आप भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में मार्च 2019 से नई दिल्ली में कार्यरत हैं और नई दिल्ली में समग्र बैंकिंग ढांचे के विकास के लिए अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं।

श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल - निदेशक (गैर कार्यपालक) - सनदी लेखाकार श्रेणी से

(जन्मतिथि -1 जून 1962)

श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(जी) के तहत अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में सनदी लेखाकार की श्रेणी के तहत 26.07.2016 से 3 वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो के लिए की गई है।

आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के सहयोगी सदस्य हैं एवं आपको वित्तीय बाजार और आर्थिक मामलों में व्यापक अनुभव है। आप पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रबंधन समिति के सदस्य भी हैं। आप भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की केंद्रीय परिषद (आईसीएसआई) के सरकारी नामिति और उत्तर पूर्वी इलैक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन (नीपको) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। आप भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित एमएसएमई क्षेत्र की वित्तीय संरचना पर गठित कार्य-दल के भी सदस्य हैं। अपने पूर्व कार्यदायित्वों में आप एसोचैम की विभिन्न समितियों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट की सार्वजनिक वित्तीय समिति और सेबी की द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति (एसएमएससी) के सदस्य थे। आपने विभिन्न लोक कल्याण परियोजनाएं आरंभ की हैं यथा, जलाधिकार, नागरिक मंच, श्री जी गौसदन एवं दुग्ध सहकारी आन्दोलन। आप समाचार-पत्रों, वित्तीय-पत्रिकाओं के लिये लिखते हैं एवं इन विषयों पर सम्मेलनों और संगोष्ठियों में व्याख्यान भी देते रहे हैं। आप देश के दो प्रीमियर अनुसंधान संगठन यथा, डॉ. मुखर्जी स्मृति न्यास एवं इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन (आईपीएफ) के न्यासी और कोषाध्यक्ष हैं।

(Health & FW) and as Deputy Director (Admn.) in AIIMS.

Shri Ajay Kumar - Director (Non-Executive) - Representing Reserve Bank of India

(DoB: 20th May, 1969)

Shri Ajay Kumar is nominated as a Director w.e.f. 13.01.2017 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders.

He has done his Masters in Economics and MS in Banking. He is also a Certified Associate of the Indian Institute of Banking (CAIB).

Shri Ajay Kumar joined RBI in December 1991 and has had a wide experience of 27 years of working in various capacities in the areas of currency management, rural credit and planning, foreign exchange management and banking supervision. He has worked as the Senior Supervisory Manager for the HDFC Bank and the Kotak Mahindra Bank. He was also the Principal Inspecting Officer (PIO) for the annual supervisory process of the Allahabad Bank, the United Bank of India and the UCO Bank and also conducted the comprehensive Asset Quality Review of the latter under his stewardship. He was also assigned the responsibility of monitoring the conduct of foreign banks in India. In the area of foreign exchange management, he has been at the helm of formulating Risk Management Guidelines for banks and also Foreign Direct Investment Policy Framework. Earlier, he has also served as Nominee Director in four Regional Rural Banks during his stint in rural credit and planning. Currently, he is posted as the Regional Director, Reserve Bank of India at New Delhi since March 2019 and is fulfilling his responsibilities towards development of the overall banking infrastructure in New Delhi.

Shri Gopal Krishan Agarwal – Director (Non-Executive) – CA Category

(DoB: 1st June, 1962)

Shri Gopal Krishan Agarwal was nominated as Part-time Non-official Director w.e.f. 26.07.2016 by the Central Government u/s 9(3)(g) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, under Chartered Accountant category for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

He is a fellow member of the Institute of Chartered Accountant of India (ICAI) and has experience in financial markets and economic issues. He is a Member of the Managing Committee of PHD Chamber of Commerce. He is a Govt nominee of the Central Council of Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and Independent Director on the Board of North Eastern Electric Power Co. (NEEPCO). He is also a member of the Task Force on Financial Architecture of MSME Sector set up by the Ministry of Finance, Government of India. In his previous roles he was member of various committees of ASSOCHAM, Public Finance Committee of the Institute of Chartered Accountant (ICAI) and Secondary Market Advisory Committee (SMAC) of SEBI. He has initiated various public welfare projects like Jaladhikar, Nagrik Manch, Shree Ji Gausadan and Milk Cooperative Movement among many others. He writes for newspaper, financial journals and has delivered lectures in seminars and conferences on these subjects. He is Trustee and Treasurer of Dr Mookherjee Smruti Nyas and India Policy Foundation (IPF), two premier research organizations in the country.

प्रोफेसर बिजू वर्की - निदेशक (गैर कार्यपालक)

(जन्मतिथि : 22 दिसंबर 1965)

प्रो. बिजू वर्की की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में 25.04.2016 से 3 वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए की गई है।

आपने महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में मास्टर डिग्री प्राप्त की और साथ ही एनआईबीएम, पुणे से प्रबंधन में उपाधि प्राप्ति की है। वर्तमान में आप आईआईएम अहमदाबाद में मानव संसाधन प्रबंधन में संकाय सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त आप आईआईएमए की ई-पीजीपी टास्क फोर्स के प्रमुख रहे हैं जिसे आईआईएम में लंबी अवधि के लिए वर्चुअल शिक्षण कार्यक्रम के लिए अनिवार्य किया जा रहा है। आपका व्यवसायिक अनुभव उद्योग, सलाहकार तथा प्रमुख प्रबंधन स्कूलों का रहा है जिसके दौरान आपने आईआईएम लखनऊ और एमडीआई गुडगांव में पढ़ाया भी है। आपने बहुपक्षीय संस्थानों जैसे आईएलओ, आईओएम, यूएनडीपी और संगठनों जैसे यूएनआईटीईएस और आईटीयूसी के साथ निकटता से कार्य किया है। आपकी शैक्षणिक रचियों में सामरिक मा.सं., परिवर्तन प्रबंधन, नया लोक प्रबंधन, नेतृत्व विकास, फर्म हेतु मा.सं. वस्तुशिल्प, निष्पादन प्रबंधन और सुधार, लचीले कार्यस्थल, रोजगार संबंध, स्टार्ट-अप और पारिवारिक करोबार परिवर्तन शामिल है। आपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशन किया है तथा मा.सं.प्र. तरीकों पर सह-लेखक के रूप में पुस्तक भी लिखी है। आपने गेरी डेज़लर के साथ सह-लेखक के रूप में 'मानव संसाधन प्रबंधन' पुस्तक भी लिखी है। एवार्ड विनिंग केस स्टडी सहित आपने 30 से अधिक केस स्टडी एवं तकनीकी नोट लिखे हैं। आप सेंटर पीटर्स स्कूल, पंचगणी के न्यासी मंडल और एमसीएमएटी, केरल के शासित समिति के सदस्य भी हैं। आपने नेशनल एचआरडी नेटवर्क- दिल्ली अध्याय (1998-1999) की कोर समिति के नामित सदस्य के रूप में कार्य किया है, इंडिया यंग एचआर सम्मेलन हेतु समिति, एनआईपीएम केरल के वार्षिक एचआर कांक्लेव हेतु तकनीकी समिति की चेयर (2015) आयोजित की है तथा भारतीय सामरिक प्रबंधन फोरम के संस्थापक शासित इकाई के सदस्य भी रहे हैं।

**श्री भरत कुमार डी डांगर- निदेशक (गैर-कार्यपालक)-
शेयरधारक निदेशक**

(जन्म तिथि: 18 सितंबर, 1978)

श्री भरत कुमार डी. डांगर को बैंककारी कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत 24.12.2017 से 23.12.2020 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया है।

आपकी शैक्षिक योग्यताओं में विद्युत अभियांत्रिकी में डिस्टिंक्शन सहित स्नातक और माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम और एप्लिकेशन में विशेषज्ञता के साथ अभियांत्रिकी में मास्टर डिग्री शामिल है। वर्तमान में आप एम.एस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के तकनीकी एवं अभियांत्रिकी संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवारत हैं। आपको विभिन्न कार्पोरेट और एसएमई में एक्सपोजर के साथ शैक्षणिक, परिचालन, प्रबंधन, लेखाशास्त्र और मानव संसाधन के क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त है। आप वित्तपोषण, फसल बीमा, ऋण सुविधाओं आदि के साथ किसानों के विभिन्न मुद्दों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आप सरकार के विभिन्न स्तरों पर किसानों एवं उद्योग जगत के विभिन्न मुद्दों को उठाते रहे हैं जिससे संबंधित क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। आप सामाजिक कल्याण के विभिन्न मामलों के साथ काफी सक्रियता से जुड़े रहे हैं।

Prof. Biju Varkkey – Director (Non-Executive)

(DoB: 22nd December 1965)

Prof. Biju Varkkey was nominated as a Part Time Non-official director w.e.f. 25.04.2016 by the Central Government u/s 9(3) (h) and 9(3-A) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

He obtained Master's degree in Human Resource Management from Mahatma Gandhi University, Kerala and Fellow title in Management from NIBM, Pune. Currently he is faculty member at IIM Ahmedabad with the Human Resource Management. Additionally he heads the e-PGP task force of IIMA, which is mandated to lounge long duration virtual learning programs from IIMA.

His professional experience spans across industry, consulting and leading management schools, having taught at IIM Lucknow and MDI Gurgaon. He works closely with multilateral organizations like ILO, IOM, UNDP and organizations like UNITES and ITUC. His areas of academic interest include Strategic HR, Change Management, New Public Management, Leadership Development, HR Architecture for firms, Performance Management & Improvement, Flexible Work places, Employment Relations, Startups and Family Business transformation. He has published in national and international journals and also co-edited books on HRM practices. He coauthored text book 'Human Resource Management' along with Gary Dessler. He has authored more than 30 case studies and technical notes, including award winning case study. He is also a member of the board of trustees of St Peters School, Panchgani and member of governing council of MCMAT, Kerala. He has served as nominated member in the Core Committee of the National HRD Network – Delhi Chapter (1998-1999), organizing committee for India Young HR Conference, Chair of Technical Committee for Annual HR Conclave of NIPM Kerala (2015) and was member of the founding governing body of the Strategic Management Forum of India.

**Shri Bharatkumar D. Dangar - Director (Non-Executive) -
Shareholder Director**

(DoB: 18th September, 1978)

Shri Bharatkumar D. Dangar is an elected Shareholder Director under section 9 (3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 24.12.2017 to 23.12.2020.

His education accomplishments include Electrical Engineering with distinction and Masters in Engineering with specialization in Microprocessor systems and application. He currently serves as Assistant Professor in Faculty of Technology and Engineering of M.S. University, Baroda. He brings with him a rich experience in fields of Academics, Operations, Management, Accountancy and Human Resource with exposure to various Corporates and SMEs. He is well versed with various farmers' issues including financing, crop insurance, credit facilities etc. He has raised issues of farming community and Industry at various levels of Government which resulted into many improvements in respective fields. He is quite active in issues related to welfare of society at large.



**श्रीमती सौंदरा कुमार- निदेशक (गैर-कार्यपालक)-
शेयरधारक निदेशक**

(जन्म तिथि: 15 अगस्त, 1954)

श्रीमती सौंदरा कुमार का चयन, बैंककारी कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत 24.12.2017 से 23.12.2020 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए, शेयरधारक निदेशक के रूप में किया गया है।

आपने स्टेला मैरिस कॉलेज, चेन्नई से गणित में स्नातक किया है। आपने सीएआईआईबी भी किया है। उन्होंने 1975 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और 2014 में अपनी सेवानिवृत्त तक कार्यरत रही। इस अवधि के दौरान उन्होंने एसएमई, रिटेल और कृषि एवं ग्रामीण (वित्तीय समावेशन) शाखाओं के शाखा प्रमुख सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया। आप तिरुचिरापल्ली में बैंक के प्रशिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र में संकाय सदस्य के रूप में, चेन्नै सर्कल में क्षेत्रीय प्रमुख के पद पर, वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिसिया शाखा, कैलिफोर्निया यूएस, बाद में प्रेसिडेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) एवं बैंक के लॉस एंजल्स एजेंसी के सीईओ के रूप में कार्यरत रही हैं। आप अक्टूबर 2008 से बैंक के सहयोगी स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की प्रबंध निदेशक भी रहीं जहां उन्होंने 2010 में इसका सफलता पूर्वक विलय मूल बैंक में करवाया। वर्ष 2014 में अपनी सेवानिवृत्त तक आप बैंक के कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन के प्रभारी के रूप में उप प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत रहीं।

आपने 3 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए एसबीआई के होलसेल बैंकिंग क्रेडिट समिति की अध्यक्षता भी की है एवं कार्पोरेट सेंटर निवेश समिति एवं क्रेडिट नीति व प्रक्रिया समिति की भी स्थायी सदस्य रही हैं। आपने वित्तीय समावेशन हेतु कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल को ऊपर उठाने हेतु उपाय सिफारिश करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कार्यकारी समूह के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। आप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित कार्पोरेट ऋण पुनर्गठन तंत्र के कोर समूह की भी सदस्य रही हैं। आपने एआरसीआईएल, सरसाई, सिडबी वेंचर कैपिटल आदि के निदेशक मंडल में एसबीआई के नामित निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

श्री श्रीनिवासन श्रीधर -निदेशक (गैर कार्यपालक)-

शेयरधारक निदेशक

(जन्मतिथि : 3 मई, 1960)

श्री श्रीनिवासन श्रीधर शेयरधारक निदेशक के रूप में, बैंककारी कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत 12.12.2018 से 11.12.2021 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए चुने गए निदेशक हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम (ऑनर्स) किया है और एक सनदी लेखाकार हैं।

श्री श्रीधर 2013 से एक अग्रणी ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में वे अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों, निदेशक मंडल एवं अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ प्रबंधन कार्यनीति, क्लाइंट कवरेज मॉडल, उत्पाद एवं वितरण कार्यनीति तथा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जैसे विषयों पर कार्य करते हैं।

श्री श्रीधर का देश-विदेश में वित्तीय सेवा विशेषज्ञ के रूप में 30 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है। वे सिटीग्रुप से 28 वर्षों से जुड़े रहे और एशिया, अफ्रीका व यूरोप के 6 देशों में कार्य किया। उन्होंने सिटीग्रुप के 3 देशों के सीईओ, भारत के कार्पोरेट प्रमुख, अफ्रीका में ट्रांजेक्शन सेवाओं के प्रमुख तथा मध्य व पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व एवं अफ्रीका में बैंकिंग सेवा समूहों के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया। श्री श्रीधर को बैंकिंग तथा कार्पोरेट बैंकिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट,

Smt. Soundara Kumar - Director (Non-Executive) - Shareholder Director

(DoB: 15th August, 1954)

Smt. Soundara Kumar is an elected Shareholder Director under section 9 (3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 24.12.2017 to 23.12.2020.

She has done her graduation in Mathematics from Stella Maris College, Chennai. She is also CAIIB. She joined State Bank of India as a Probationary Officer in 1975 and continued till her retirement in 2014. During this period she held various assignments including heading branches, SME, Retail and Rural & Agriculture (Financial Inclusion). She was also a faculty member in the Bank's Training Centre, at Tiruchirapalli; Regional Manager, Chennai Circle; Senior Vice President, Artesia branch, California US; later as President State Bank of India (California) and CEO of the Los Angeles Agency of the Bank. She was Managing Director of the State Bank of Indore from October, 2008, where she successfully steered the merger of the Bank with the Parent Bank in 2010. She held the position of Dy. Managing Director, in charge of Stressed Assets Management, in SBI till her retirement in 2014.

She has also headed Wholesale Banking Credit Committee of SBI for over -3- years and was a permanent member of Corporate Centre Investment Committee and Credit Policies and Procedures Committee. She served as member of RBI Working Group to recommend measures for scaling up the Business Correspondent (BC) model for Financial Inclusion. She was also a member of Core Group of Corporate Debt Restructuring mechanism set up by RBI. She also served as a nominee director of SBI on the Boards of ARCIL, CERSAI, SIDBI Venture Capital etc.

Shri Srinivasan Sridhar - Director (Non-Executive) -

Shareholder Director

(DoB: 3rd May, 1960)

Shri Srinivasan Sridhar is an elected Shareholder Director under section 9 (3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 12.12.2018 to 11.12.2021.

Mr. Sridhar is a B.Com (Hons.) from Delhi University and a Chartered Accountant.

Mr. Sridhar has been associated with a leading global management consulting firm since 2013. In this role he works with CEOs, Boards of Directors and other senior leaders of top Financial Services companies in the region on topics such as Management Strategy, Client Coverage Models, Product and Distribution Strategies, Cost Optimization etc.

Mr. Sridhar is a financial services expert with over 30 years of experience gained internationally and in India. He was with Citigroup for 28 years and has worked in 6 countries across Asia, Africa and Europe. Some of the leadership positions he held with Citigroup included being CEO for three countries, Corporate Bank Head for India, Transaction Services Head for Africa and Bank Services Group Head for Central, Eastern Europe, Middle East and Africa. Mr. Sridhar brings deep banking



गवर्नेंस एवं विनियामक अनुपालन के क्षेत्र में कार्य करने का व्यापक अनुभव है। श्री श्रीधर मुंबई में रहते हैं तथा वे बॉलीवुड, फुटबॉल एवं वन्य प्राणियों के शौकीन हैं। वे बाल कल्याण, आर्थिक सशक्तीकरण, सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक कार्यों के लिए कार्य करते हैं।

experience and track record from around the globe in areas such as Corporate and Investment Banking, Product Management, Risk Management, Governance and Regulatory Compliance. Mr. Sridhar lives in Mumbai and is passionate about Bollywood, Football and Wildlife. The social causes that he cares about are child welfare, economic empowerment, education and health for the under-privileged.



अनुलग्न- 1ए
निदेशकों के अन्य विवरण
(यथा स्थिति 31.03.2019)

Annexure – 1A
OTHER DETAILS OF DIRECTORS:
(Position as on 31.03.2019)

निदेशक का नाम Name of Director	बैंक ऑफ़ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of shares of Bank	बैंक की उप समितियों में सदस्यता की संख्या No. of Membership in Sub - Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कम्पनियों / संस्थाओं में निदेशक के रूप में सेवाएं / संख्या No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies	अन्य कंपनियों / इकाइयों के निदेशक मण्डल में शामिल अर्थात् बैंक को छोड़कर Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank
डॉ. हसमुख अद्विया Dr. Has Mukh Adhia	शून्य Nil	4	0	शून्य NIL
श्री पी एस जयकुमार Shri P. S. Jayakumar	81500	14	0	1. बॉब कैपिटल मार्केट्स लि. 2. बॉब फायनेंशियल सोल्यूशन्स लिमिटेड 3. मेसर्स इण्डिया फर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कं. लि. 4. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लि. 1. BOB Capital Markets Limited 2. BOB Financial Solutions Limited 3. IndiaFirst Life Insurance Company Ltd. 4. Bank of Baroda (UK) Ltd.
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता Smt. Papia Sengupta	शून्य Nil	13	6	1. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि. 2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि. 3. दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लिमि. 4. बॉब कैप्स मार्केट लि. 5. इंडिया इंफ्राडेब्ट लि. 1. Bank of Baroda (Botswana) Limited 2. Bank of Baroda (Ghana) Limited 3. The New India Assurance Company Limited 4. BOB Caps Market Limited 5. India Infradebt Limited
श्री शांति लाल जैन Shri Shanti Lal Jain	शून्य Nil	15	0	1. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लि. 2. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजी लि. 1. Baroda Global Shared Services Limited 2. Barodasun Technologies Ltd
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची Shri Vikramaditya Singh Khichi	शून्य Nil	12	1	1. इंडिया फर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कंपनी लि. 2. बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लि. 3. बॉब फायनेंशियल सोल्यूशन्स लि. 1. IndiaFirst Life Insurance Company Limited 2. Baroda Asset Management India Limited 3. BOB Financial Solutions Limited
श्री देबाशीष पांडा Shri Debasish Panda	शून्य Nil	5	0	शून्य NIL
श्री अजय कुमार Shri Ajay Kumar	शून्य Nil	4	0	शून्य NIL



श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल Shri Gopal Krishan Agarwal	शून्य Nil	5	3	1. प्रोफेशनल डाटा सिस्टम प्रा. लि. 2. गंगोत्री ओवरसीज प्रा. लि. 3. जेनुयिन क्रिएसंस प्रा. लि. 4. नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लि. 5. जलाधिकार फाउण्डेशन 1. Professional Data System Private Limited 2. Gangotri Overseas Private Limited 3. Genuine Creations Private Limited 4. North Eastern Electric Power Corporation Limited 5. Jaladhikar Foundation
श्री बिजू वकर्की Prof. Biju Varkkey	शून्य Nil	6	3	1. कॉनेक्ट सीएसआर इंपैक्टर्स प्रा. लि. 2. हसीस कंसल्टिंग लि. 3. एस्टर डीएम हेल्थकेयर 1. Konnect CSR Impactors Private Limited 2. Husys Consulting Limited 3. Aster DM Healthcare
श्री भरतकुमार डी. डांगर Shri Bharatkumar D. Dangar	500	6	0	1. इन्टरनेशनल एंड डोमेस्टिक आरबीट्रेशन सेंटर 1. International and Domestic Arbitration Centre
श्रीमती सौंदरा कुमार Smt. Soundara Kumar	200	7	8	1. राजपल्लयम मिल्स लिमि. 2. तामिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स लिमि. 3. ओर्किड फार्मा लिमि. 4. शांति गियर्स लिमि. 5. रामको सिस्टम्स लिमि. 6. सुंदरम ट्रस्टी कं. लिमि. 7. सुंदरम बीएनपी परिबास फंड सर्विसेज लिमि. 1. Rajapalayam Mills Limited 2. Tamilnadu Newsprint and Papers Limited 3. Orchid Pharma Limited 4. Shanthi Gears 5. Ramco Systems Limited 6. Sundaram Trustee Company Limited 7. Sundaram BNP Paribas Fund Services Limited
श्री श्रीनिवासन श्रीधर Shri Srinivasan Sridhar	500	5	20	1. ओरेकल फायनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लि. 2. इंडिया फैक्ट्रींग एवं फायनेंस सॉल्यूशन्स प्रा. लि. 3. स्मॉल बिजनेस फिनक्रेडिट इंडिया प्रा. लि. 4. इंडी होमफिन प्रा. लि. 5. एफआईएनसीए बैंक जॉर्जिया 6. विवृति कैपिटल प्रा. लि. 7. विवृति एसेट मैनेजमेंट प्रा. लि. 1. Oracle Financial Services Software Limited 2. India Factoring and Finance Solutions Private Limited 3. Small Business Fincredit India Private Limited 4. Indie Homefin Private Limited 5. FINCA Bank Georgia 6. Vivriti Capital Private Limited 7. Vivriti Asset Management Private Limited



घोषणा

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 की अनुसूची V - भाग (डी) के अनुसार प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ का घोषणा-पत्र.

यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं बैंक के उच्च प्रबंधन कार्मिक, 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियम 26 (3) के अनुसार "बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक हेतु निर्धारित आचार संहिता" के अनुपालन हेतु वचनबद्ध हैं. यह आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है.

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

पी. एस. जयकुमार

पी. एस. जयकुमार

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई

दि. : 22 मई 2019

DECLARATION

Declaration of the Managing Director & CEO pursuant to Schedule V – Part (D) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the "Bank of Baroda - Code of Conduct for Directors and Senior Management Personnel" for the Financial Year Ended on 31st March, 2019 in accordance with Regulation 26(3) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct has been posted on the Bank's website.

For Bank of Baroda

P. S. Jayakumar

P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO

Place: Mumbai

Date: 22nd May 2019



फॉर्म संख्या एमआर- 3
सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 09 से सहमत होते हुए]

Form No. MR – 3
Secretarial Audit Report

For the financial year ended March 31, 2019

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

प्रति

सदस्य

बैंक ऑफ बड़ौदा

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और बैंक ऑफ बड़ौदा (इसके बाद जिसे बैंक के नाम से संदर्भित किया जाएगा) द्वारा श्रेष्ठ कॉर्पोरेट प्रवृत्तियों के पालन हेतु 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सचिवालय लेखापरीक्षा करवाई थी. सचिवालय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई थी कि कॉर्पोरेट आचरणों /सांविधिक अनुपालनों और उस पर हमारे विचारों के मूल्यांकन के लिए व्यवहार्य आधार उपलब्ध हो सके.

बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त संबंधी कागजातों, फॉर्मों, फाइल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों तथा सचिवालय लेखा परीक्षा के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में बैंक ने 31 मार्च 2019 (लेखा-परीक्षा अवधि) को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करते हुए लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा बैंक के पास निम्नलिखित त्रुटियों और रिपोर्टिंग के अधीन उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन प्रणाली भी है :
हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त से संबंधित कागजातों, फॉर्मों, फाइल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार की है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसमें उल्लिखित नियमों (जहां तक लागू हो);
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसमें उल्लिखित नियमों;
- निक्षेपागार अधिनियम 1996 और उस में उल्लिखित विनियमों और उप कानूनों;
- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों और बाह्य वाणिज्यिक उधारों से संबंधित उल्लिखित लागू विनियमों;
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत प्रस्तावित निम्नलिखित विनियमों और दिशानिर्देशों :-
ए. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम (शेयरों का तात्त्विक अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011.
बी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम, 2015
सी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018
डी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;
ई. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीयन) विनियम, 2008
एफ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम करने वाले रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम एवं क्लाइंटों से डील करने के संदर्भ में (जहां तक लागू हो)
जी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का गैर सूचीयन) विनियम, 2009 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं); और
एच. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सिक्योरिटीज विनियम, 1998 का बायबैक; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं);
आई. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015; तथा
(vi) हमने बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा बैंक के लिए लागू व्यवस्थाओं और विनियमों के तहत अन्य अनुपालन अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर विश्वास किया है.
हमारा यह मानना है कि प्रबन्धन ने विशेष तौर से बैंक के लिए लागू होने वाले निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है.
1). बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ('अधिनियम')

To,

The Members

BANK OF BARODA

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Bank of Baroda** (hereinafter called the Bank) for the year ended on March 31, 2019. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2019 (Audit Period) complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended March 31, 2019 according to the provisions of:

- The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder (to the extent applicable);
- The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015
 - The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018
 - The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
 - The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008
 - The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client (to the extent applicable.)
 - The Securities and Exchange Board of India (Delisting of equity shares) Regulations, 2009 (Not applicable to the Bank during the Audit Period); and
 - The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities Regulations, 1998; (Not applicable to the Bank during the Audit Period);
 - The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; and
- We have relied on the representation made by the Bank and its Officers for systems and mechanism formed by the Bank for compliances under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Bank.
We are of the opinion that the management has complied with the following laws specifically applicable to the Bank:
1) The Banking Regulation Act, 1949 ('the Act')



- 2) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
- 3) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970
- 4) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, बैंक को नियंत्रित करने वाला विशेष प्रावधान है, चूंकि बैंक संसद के अधिनियम के अंतर्गत गठित एक कार्पोरेट संस्था है। हमने लागू निम्नलिखित धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:
 - (i) भारतीय सचिव संस्थान के द्वारा जारी सचिवीय मानक.
 - (ii) बैंक द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया सूचीयन करार.

समीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने उपर्युक्त उल्लिखित अभिमतों के अधीन अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

- (ए) हमने पाया है कि आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 (ए) (1) (सी) के तहत बैंक ऑफ़ बड़ौदा पर स्विफ्ट से संबंधित परिचालन नियंत्रणों के सम्यक् कार्यवाह्य और सुदृढ़ करने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की अवमानना के लिए ₹ 40 मिलियन (स्फ़ चालीस मिलियन) का जुर्माना लगाया गया है।
- (बी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 (ए) (1) (सी) के तहत बैंक ऑफ़ बड़ौदा पर इसके एक उधारकर्ता के खाते की जांच करने पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की अवमानना के लिए ₹ 10 मिलियन (स्फ़ दस मिलियन) का जुर्माना लगाया गया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

बैंक का निदेशक मंडल कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ विधिवत स्फ़ से गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए बदलाव भारत सरकार की अधिसूचनाओं और अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं।

वर्ष के दौरान बैंक के प्रबंधन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

- 1) अधिसूचना सं. एफ.नं.4/1/2019-बीओ.आई के माध्यम से डॉ. हसमुख अडिया की नियुक्ति बैंक ऑफ़ बड़ौदा के अशकालिक गैर-शासकीय निदेशक तथा गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के स्फ़ में 01 मार्च, 2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, की गई है।
- 2) बैंक के अध्यक्ष (गैर-कार्यपालक) व निदेशक के स्फ़ में श्री रवि वेंकटेशन का कार्यकाल 14 अगस्त, 2018 को समाप्त हो गया है।
- 3) दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय सरकार की अधिसूचना सं. एफ.नं.4/2/2015-बीओ.आई के माध्यम से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्फ़ में श्री पी एस जयकुमार का कार्यकाल अगले 1 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 12 अक्टूबर, 2019 तक बढ़ा दिया गया है।
- 4) बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री अशोक कुमार गर्ग 1 जुलाई, 2018 को सेवानिवृत्त हो गए हैं।
- 5) बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री मयंक के मेहता 01 अक्टूबर, 2018 को सेवानिवृत्त हो गए हैं।
- 6) दिनांक 20 सितंबर, 2018 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय सरकार की अधिसूचना सं. एफ.नं. 4/5/2018-बीओ.आई के माध्यम से इलाहाबाद बैंक के महाप्रबंधक श्री शांति लाल जैन को 20 सितंबर, 2018 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के स्फ़ नियुक्त किया गया है।
- 7) दिनांक 26 सितंबर, 2018 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय सरकार की अधिसूचना सं. एफ.नं. 4/5/2018-बीओ.आई के माध्यम से देना बैंक के महाप्रबंधक श्री विक्रमादित्य सिंह खीची को 01 अक्टूबर, 2018 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के स्फ़ नियुक्त किया गया है।
- 8) श्री लोक रंजन के स्थान पर श्री देबाशीष पांडा को 5 अप्रैल, 2018 से भारत सरकार के नामित निदेशक के स्फ़ में नामित किया गया है।
- 9) दिनांक 12 दिसंबर 2018 से एक शेरधारक निदेशक के स्फ़ में सुश्री उषा ए नारायणन के कार्यकाल की समाप्ति।
- 10) दिनांक 10 दिसंबर, 2018 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार, दिनांक 12 दिसंबर, 2018 को बैंक के शेरधारक निदेशक के स्फ़ में श्री श्रीनिवासन श्रीधर की नियुक्ति।

बोर्ड बैठकों को शिड्यूल करने हेतु सभी निदेशकों को यथोचित सूचना दी गई और सभी निदेशकों को एजेंडा तथा एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजा गया और बैठक से पहले और एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और सार्थक भागीदारी के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली उपलब्ध है।

- 2) The Reserve Bank of India Act, 1934
 - 3) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970
 - 4) The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, being the special provisions governing the Bank, since the Bank is a body corporate constituted under the Act of Parliament.
- We have also examined compliance with applicable clauses of the following:
- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Secretaries of India.
 - (ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations.

- (a) We have observed that RBI under Section 47(A)(1)(c) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty of Rs.40 million (Rupees forty million only) on Bank of Baroda for non-compliance of RBI directives for time bound implementation & strengthening of SWIFT related operational controls.
- (b) Reserve Bank of India under section 47(A)(1)(c) read with section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty of Rs. 10 million (Rupees ten million only) on Bank of Baroda for non-compliance of Reserve Bank of India guidelines on scrutiny of one of its borrower account.

We further report that:

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out vide Government of India notifications and in compliance with the provisions of the Act.

During the year following changes took place in the Management of the Bank:

- 1) Appointment - Dr. Hasmukh Adhia as part-time non-official Director as well as Non-Executive Chairman on the Board of Bank of Baroda vide notification no.F.No.4/1/2019-BO.I with effect from 1st March, 2019 for the tenure of three years or until further orders, whichever is earlier.
- 2) Completion of tenure of Shri Ravi Venkatesan as Chairman (Non-Executive) Director of the Bank with effect from 14th August, 2018.
- 3) Extension of term of office of Shri P S Jayakumar as Managing Director and CEO of Bank for a further period of 1 year i.e. till 12th October, 2019 vide Central Government Notification no. F. No. 4/2/2015-BO.I issued by Ministry of Finance dated 11th October, 2018.
- 4) Superannuation of Shri Ashok Kumar Garg as an Executive Director of the Bank with effect from 1st July, 2018.
- 5) Superannuation of Shri Mayank K. Mehta as an Executive Director of the Bank with effect from 01st October, 2018.
- 6) Appointment of Shri Shanti Lal Jain, General Manager, Allahabad Bank as an Executive Director of the Bank with effect from 20th September, 2018 vide Central Government Notification no. F.No.4/5/2018-BO.I issued by Ministry of Finance dated 20th September, 2018.
- 7) Appointment of Shri Vikramaditya Singh Khichi, General Manager, Dena Bank as an Executive Director of the bank with effect from 1st October, 2018 vide Central Government Notification no. F.No.4/5/2018-BO.I issued by Ministry of Finance dated 26th September, 2018.
- 8) Nomination of Shri Debasish Panda as GOI Nominee Director in place of Shri Lok Ranjan with effect from 5th April, 2018.
- 9) Completion of tenure of Ms. Usha A Narayanan as a Shareholder Director with effect from 12th December, 2018.
- 10) Appointment of Shri Srinivasan Sridhar as Shareholder Director of the Bank with effect from 12th December, 2018 pursuant to resolution passed in Extra Ordinary general Meeting held on 10th December, 2018

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.



अधिकांश निर्णयों पर सहमति बनी, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में रिकॉर्ड किया गया है।

हम इसके अलावा रिपोर्ट करते हैं कि बैंक में इसके आकार और परिचालन के अनुसूचित पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएँ हैं जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों को निगरानी को सुनिश्चित करते हैं।

हम इसके अतिरिक्त रिपोर्ट करते हैं कि ऑडिट अवधि के दौरान, बैंक में ऐसी विशिष्ट घटनाएँ या कार्य रहे हैं जो उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के अनुसरण से संबंधित हैं:

- 1) बैंक ने 27 मार्च 2018 को प्रवर्तक तथा प्रवर्तक समूह को रु 2/- प्रत्येक के 341356534 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं और दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के प्रभाव से स्टॉक एक्सचेंजों से लिस्टिंग और ट्रेडिंग अनुमोदन प्राप्त किया है।
- 2) रु 500.00 करोड़ के कुल योग का कॉल ऑप्शन / रिडेम्पशन ऑफ टियर II बॉन्ड सीरीज X 12 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा।
- 3) दिनांक 28 सितंबर, 2018 को बड़ौदा पायनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (बीपीएएमसी) और बड़ौदा पायनियर ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड के 51% शेयरहोल्डिंग के अधिग्रहण का कार्य पूरा किया गया। यूनिफाइड और एस.पी.ए. बीपीएएमसी और बड़ौदा पायनियर ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाला अनुषंगी बने।
- 4) बैंक के निदेशक मंडल ने 29 नवंबर, 2018 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी शेयर खरीद योजना ("बीओबी-ईएसपीएस") के तहत अपने कर्मचारियों को 10,00,00,000 नए इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दी है। इसे 21 जनवरी, 2019 को आयोजित एक असाधारण सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- 5) दिनांक 07 दिसंबर 2018 को 17 आबंटियों को रु 10,00,000 / - प्रत्येक (अनसिक्योरिड, रिडीमिबल) के अंकित मूल्य के 9715 8.42% बैंक ऑफ बड़ौदा - बेसल III कंप्लेंट टियर II बांड - सीरीज XVIII का आबंटन किया गया और इसके लिए दिनांक 12 दिसंबर, 2018 तथा 14 दिसंबर, 2018 के प्रभाव से एनएसई तथा बीएसई पर लिस्टिंग का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
- 6) बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 29 सितंबर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 17 सितंबर, 2018 के पत्र के माध्यम से वैकल्पिक मेकेनिज्म पैनल द्वारा इसकी सहमति दी गई।
- 7) बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन की योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 2 जनवरी, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, और यह 1 अप्रैल, 2019 से लागू होगी।
- 8) दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को 6 आबंटियों को रु 10,00,000 / - प्रत्येक (अनसिक्योरिड, रिडीमिबल) के अंकित मूल्य के 2400 8.40% - बैंक ऑफ बड़ौदा - बेसल III कंप्लेंट टियर II बांड - सीरीज XIX का आबंटन किया गया तथा इसके लिए दिनांक 27 दिसंबर, 2018 तथा दिनांक 28 दिसंबर, 2018 के प्रभाव से एनएसई तथा बीएसई पर लिस्टिंग का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
- 9) आईपीडीआई बॉन्ड सीरीज I का कॉल ऑप्शन / रिडेम्पशन की कुल राशि रु 300.20 करोड़ है। यह दिनांक 30 जनवरी, 2019 से प्रभावी होगा।
- 10) दिनांक 10 जनवरी, 2019 को 5 आबंटियों को रु 10,00,000 / - प्रत्येक (अनसिक्योरिड, रिडीमिबल) के अंकित मूल्य के 2850 8.60% - बैंक ऑफ बड़ौदा - बेसल III कंप्लेंट टियर II बांड - सीरीज XX का आबंटन किया गया तथा इसके लिए क्रमशः दिनांक 14 जनवरी, 2019, दिनांक 15 जनवरी, 2019 के प्रभाव से एनएसई तथा बीएसई पर लिस्टिंग का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
- 11) टियर II बॉन्ड सीरीज IX का कॉल ऑप्शन / रिडेम्पशन की कुल राशि रु 1000.00 करोड़ है। यह दिनांक 05 मार्च, 2019 से प्रभावी होगा।
- 12) वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने अपनी दिनांक 27 मार्च, 2019 की अधिसूचना द्वारा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 30 के अनुसार इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन (विशेष प्रतिभूतियों/ बांड) के द्वारा रु 5,042 करोड़ के पूंजी लगाने संबंधी अपने निर्णय से अवगत कराया।

कृते रागिनी चोकशी एंड कंपनी
(कंपनी सचिव)
रागिनी चोकशी

(साझेदार)
सी.पी.नंबर 1436
एफसीएस नंबर 2390

स्थान: मुंबई
दिनांक: मई 13, 2019

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, the Bank had following specific events or actions which might have a bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.:

- 1) The Bank has allotted 341356534 Equity Shares of Rs. 2/- each to Promoter and Promoter Group on 27th March, 2018 and has obtained Listing and Trading Approval from Stock Exchanges with effect from 10th April, 2018.
- 2) Call option/Redemption of Tier II Bond Series X aggregating Rs. 500.00 Cr. With effect from 12th April, 2018.
- 3) Completion of Acquisition of 51% Shareholding of Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. (BPAMC) and Baroda Pioneer Trustee Co. Pvt. Ltd. on 28th September, 2018 from UniCredit S.P.A. BPAMC and Baroda Pioneer Trustee Co. Pvt. Ltd. becomes the Wholly Owned Subsidiary of Bank.
- 4) Board of Directors of the Bank has approved issuance of 10,00,00,000 fresh Equity Shares to its employees under Bank of Baroda Employee Share Purchase Scheme ("BOB-ESPS") in their Board meeting held on 29th November, 2018 and the same has been approved by shareholders in an Extra-Ordinary general meeting held on 21st January, 2019.
- 5) Allotment of 9715 8.42% - Bank of Baroda – Basel III Compliant Tier II Bonds – Series XVIII of face value of Rs. 10,00,000/- each (Unsecured, Redeemable) to 17 allottees on 07th December, 2018 and has obtained Listing approval for the same on NSE & BSE with effect from 12th December, 2018 & 14th December, 2018.
- 6) Board of Directors of bank has granted In-principle approval for amalgamation of Vijaya bank and Dena Bank with Bank of Baroda in their meeting held on 29th September, 2018 and the same has been accorded by Alternative Mechanism panel vide their letter dated 17th September, 2018 issued by ministry of Finance.
- 7) Scheme of Amalgamation of Vijaya Bank and Dena Bank with Bank of Baroda has been notified by ministry of finance vide their notification dated 2nd January, 2019 published in the official Gazette of India and the same shall come into force on 1st April, 2019.
- 8) Allotment of 2400 8.40% - Bank of Baroda – Basel III Compliant Tier II Bonds – Series XIX of face value of Rs. 10,00,000/- each (Unsecured, Redeemable) to 6 allottees on 20th December, 2018 and has obtained Listing approval for the same on NSE with effect from 27th December, 2018 & BSE with effect from 28th December, 2018.
- 9) Call option/Redemption of IPDI Bond Series I aggregating Rs. 300.20 Cr. With effect from 30th January, 2019.
- 10) Allotment of 2850 8.60% - Bank of Baroda – Basel III Compliant Tier II Bonds – Series XX of face value of Rs. 10,00,000/- each (Unsecured, Redeemable) to 5 allottees on 10th January, 2019 and has obtained Listing approval for the same on NSE & BSE with effect from 14th January, 2019 & 15th January, 2019 respectively.
- 11) Call option/Redemption of Tier II Bond Series IX aggregating Rs. 1000.00 Cr. With effect from 05th March, 2019.
- 12) Pursuant to Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 Ministry of Finance, Government of India vide its notification dated 27th March, 2019 has conveyed its decision towards Capital Infusion of Rs.5,042 Crore by way of Preferential Allotment of Equity shares (Special Securities/Bonds)

For Ragini Chokshi & Co.
(Company Secretaries)
Ragini Chokshi

(Partner)
C.P.NO.1436
FCS NO. 2390

Place: Mumbai
Date: May 13, 2019